38

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रक्षा मंत्रालय

अनुदानों की मांगें (2023-24)

आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और राष्ट्रीय कैडेट कोर

(मांग सं. 20 और 21)

अड़तीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2023 / फाल्गुन 1944 (शक)

अड़तीसवां प्रतिवेदन

रक्षा संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रक्षा मंत्रालय
अनुदानों की मांगें (2023-24)

आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और राष्ट्रीय कैडेट कोर

(मांग सं. 20 और 21)

21.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
21.03.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2023 / फाल्गुन 1944 (शक)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

समिति की संरचना (2022-23)... 4

प्राक्कथन.. 6

प्रतिवेदन

भाग-एक

अध्याय एक   आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू   7

अध्याय दो   रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन   30

अध्याय तीन   राष्ट्रीय कैडेट कोर   41

भाग-दो

टिप्पणियां/सिफारिशें................................... 52

परिशिष्ट

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की दिनांक 20.02.2023, 22.02.2023, 24.02.2023 और 16.03.2023 को आयोजित बैठक का कार्यवाही सारांश   63

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री जुएल ओराम - सभापति

लोक सभा	
2.	श्री नितेश गंगा देब
3.	श्री राहुल गांधी
4.	श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा
5.	श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
6.	चौधरी महबूब अली कैसर
7.	श्री सुरेश कश्यप
8.	श्री रतन लाल कटारिया
9.	डॉ. रामशंकर कठेरिया
10.@	श्री डी.एम. कथीर आनन्द
11.	कुंवर दानिश अली
12.	डॉ. राजश्री मल्लिक
13.*	श्री एन. रेड्डप्पा
14.	श्री उत्तम कुमार रेड्डी
15.	श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी
16.	श्री जुगल किशोर शर्मा
17.	डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
18.	श्री प्रताप सिम्हा
19.	श्री बृजेन्द्र सिंह
20.	श्री महाबली सिंह
21.	श्री दुर्गा दास उइके
राज्य सभा	
22.	डॉ. अशोक बाजपेयी
23.	श्री प्रेम चंद गुप्ता
24.	श्री सुशील कुमार गुप्ता
25.	श्री वेंकटारमन राव मोपीदेवी
26.	श्री कामाख्या प्रसाद तासा
27.	डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
28.	श्रीमती पी.टी. उषा
29.	श्री जी. के. वासन
30.	ले. जनरल (डॉ.) डी. पी. वत्स (रिटा.)
31.	श्री के. सी. वेणुगोपाल

@08.12.2022 से नामनिर्दिष्ट।

* 16.11.2022 से नामनिर्दिष्ट।

डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर और श्री श्रीधर कोटागिरी, संसद सदस्य, लोकसभा 16.11.2022 से रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य नहीं रहे।

<u>सचिवालय</u>

1.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. संजीव शर्मा	-	निदेशक
3.	श्री राहुल सिंह	-	उप सचिव
4.	श्री राजेश कुमार	-	कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर 'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग सं. 20 और 21)' के संबंध में वर्ष 2023-24 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी यह अड़तीसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें 08 फरवरी, 2023 को लोक सभा के पटल पर रखी गई थीं। समिति ने 20, 22 और 24 फरवरी, 2023 को रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। समिति द्वारा 16 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया गया और इसे स्वीकार किया गया।

3. समिति रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और सेवाओं/संगठनों के प्रतिनिधियों का समिति के समक्ष उपस्थित होने और अनुदानों की मांगों की जांच के संबंध में समिति द्वारा वांछित सामग्री और जानकारी उपलब्ध कराने हेतु धन्यवाद करती है ।

4. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग- दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
17 मार्च, 2023
26 फाल्गुन, 1944 (शक)

जुएल ओराम
सभापति
रक्षा संबंधी स्थायी समिति

प्रारूप प्रतिवेदन

अध्याय - एक

आयुध निदेशालय (समन्वय एवं सेवाएं) - नई डीपीएसयू

प्राक्कथन

आयुध निदेशालय (समन्वय एवं सेवाएं) - नई डीपीएसयू, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, 30.09.2021 तक रक्षा उत्पादन विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय था। यह 41 आयुध निर्माणियों को नियंत्रित और निदेशित करता था। मंत्रिमंडल ने 16.06.2021 को हुई अपनी बैठक में ओएफबी की उत्पादन इकाइयों को 41 इकाइयों जिसमें गोला बारूद और विस्फोटक, वाहन, हथियार और उपकरण, ट्रूप कम्फर्ट आइटम, अनुषंगी, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और पैराशूटशामिल है को 7 डीपीएसयू में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की है। नई कॉर्पोरेट कंपनियों के मुख्यालय का चयन ओएफ के स्थान और संघनता, राजस्व और उत्पादों की महत्व के आधार पर किया गया।

नव सृजित रक्षा कंपनियों के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न मुख्यालयों और उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली उत्पादन इकाइयों के स्थान सहित सूचना का विवरण निम्नानुसार है:

नए डीपीएसयू के तहत उत्पादन इकाइयाँ

क्रमांक	उत्पादन इकाई	नए डीपीएसयू और मुख्य व्यवसाय
1.	गोला बारूद का कारखाना खड़की	**मुनिशन्स इंडिया लिमिटेड** यह डीपीएसयू गोला-बारूद और विस्फोटक बनाने के कारोबार में है हुआ है। पंजीकृत कार्यालय: एम्युनिशन फैक्ट्री खड़की, पुणे, महाराष्ट्र - 411003 मुख्य व्यवसायिक कार्यालय: दूसरी मंजिल, न्याती यूनिट्री, नगर रोड, यरवदा, पुणे - 411 006
	कॉर्डाइट फैक्ट्री अरुवंकाडु	
	उच्च ऊर्जा प्रक्षेप्य कारखाना तिरुचिरापल्ली	
	हाई एक्सप्लोसिव फैक्ट्री खड़की	
	आयुध निर्माणी भंडारा	
	आयुध निर्माणी बोलांगीर	
	आयुध निर्माणी चंदाचंद्रपुर	
	आयुध निर्माणी देहु रोड	
	आयुध निर्माणी इटारसी	
	आयुध निर्माणी खमरिया	
	आयुध निर्माणी नालंदा	
	आयुध निर्माणी वारंगाँव	

2.	इंजन फैक्टरी अवडी भारी वाहन कारखाना आवाडी मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी अंबरनाथ आयुध निर्माणी मेढ़क वाहन निर्माणी जबलपुर	**बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड** यह डीपीएसयू वाहनों के निर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ है। पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय: एचवीएफ रोड, भक्तवत्सलपुरम, अवाडी, चेन्नई, तमिलनाडु - 600054
3.	फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर गन एंड शेल फैक्ट्री कोसीपुर आयुध निर्माणी कानपुर आयुध निर्माणी परियोजना कोरवा आयुध निर्माणी तिरुचिरापल्ली राइफल फैक्ट्री ईशापुर स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर	**उन्नत हथियार और उपकरण इंडिया लिमिटेड** यह डीपीएसयू हथियारों और उपकरणों का निर्माण करता है। पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय: आयुध निर्माणी कानपुर, कालपी रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208009
4.	आयुध वस्त्र निर्माणी आवडि आयुध वस्त्र निर्माणी शाहजहांपुर आयुध उपकरण कारखाना कानपुर आयुध उपकरण कारखाना हजरतपुर	**ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड** यह डीपीएसयू ट्रूप कंफर्ट आइटम का विनिर्माण करता है। पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय: द्वारा आयुध निर्माणी उपकरण, मुख्यालय जीटी रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208013
5.	ग्रे आयरन फाउंड्री जबलपुर धातु और इस्पात कारखाना ईशापुर आयुध निर्माणी अंबरनाथ आयुध निर्माणी अंबाझरी आयुध निर्माणी भुसावल आयुध निर्माणी दमदम आयुध निर्माणी कटनी आयुध निर्माणी मुरादनगर	**यंत्र इंडिया लिमिटेड** यह डीपीएसयू मिलिट्री ग्रेड के कलपुर्जों और सहायक उत्पादों का विनिर्माण करता है। पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय: द्वारा महाप्रबंधक आयुध निर्माणी, अंबाझरी अमरावती रोड अंबाझरी, नागपुर, महाराष्ट्र - 440021
6.	आयुध केबल फैक्टरी चंडीगढ़ आयुध निर्माणी देहरादून	**इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड** यह डीपीएसयू ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का

	ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून	विनिर्माण करता है। पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय: Cद्वारा ऑप्टो इलेक्ट्रनिक फैक्ट्री, रायपुर, देहरादून, उत्तराखंड - 248008
7.	आयुध पैराशूट फैक्टरी कानपुर	**ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड** यह डीपीएसयू पैराशूट बनाता है। पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय: द्वारा - आयुध निर्माणी उपकरण मुख्यालय, जीटी रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208005

बजटीय प्रावधान

1.2 रक्षा मंत्रालय को नवगठित डीपीएसयू/पूर्ववर्ती आयुध निर्माणियों को बजटीय प्रावधानों के संबंध में और निर्माणियों को चलाने के लिए अतिरिक्त निधि के आवंटन के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार कहा:

"भारत सरकार ने 4,347 करोड़ रुपये का पहले ही पूंजीगत व्यय आरई 2021-22 [आयुध निर्माणियों के लिए 30 सितंबर 2021 तक 204 करोड़ रुपये के खर्च सहित] और आरई 2022-23 में 3,810 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया है । ऑम्निबस माइनर हेड 190 के तहत आधुनिकीकरण और आरएंडडी के लिए नए डीपीएसयू हेतु वर्ष 2023-24 में प्रमुख शीर्ष 4076 (04)- रक्षा सेवा अनुमान संबंधी पूंजीगत परिव्यय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश के लिए 1,310 करोड़ रुपये का बजट अनुमान(अनुमानित) किया गया है।

मौजूदा निधियों का वितरण प्रतिबद्ध देनदारियों और नव निर्मित डीपीएसयू की आधुनिकीकरण योजना के आधार पर किया जा रहा है ।"

मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानों और बजट अनुमान आवंटन के साथ पिछले पांच वर्षों के लिए सभी नए डीपीएसयू के संबंध में अनुमानित राशि, बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक आवंटन के बारे में लिखित प्रस्तुत जानकारी प्रस्तुत की:

"आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण के भारत सरकार के फैसले के परिणामस्वरूप रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के तहत आयुध निदेशालय (समन्वय एवं सेवा) डीओओ (सी एंड एस) का गठन 01.10.2021 से किया गया है। निदेशालय के लिए व्यय रक्षा सेवाओं के लिए रक्षा मंत्रालय को आवंटित किए जा रहे बजट से किया जाएगा। 01.10.2021 से पहले, आयुध कारखानों के महानिदेशालय (डीजीओएफ) का व्यय रक्षा सेवाओं के लिए रक्षा मंत्रालय को आवंटित किए जा रहे बजट से किया गया था (राजस्व मद के तहत मेजर हेड 2079 और पूंजीगत शीर्ष के तहत 4076/04)।

डीजीओएफ/डीओओ (सीएंडएस) के संबंध में 2023-24 (बीई) सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और किए गए व्यय में किए गए अनुमानों और आवंटनों का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**ब अ**	**ब अ आबंटन**	**सं अ**	**सं अ आबंटन**	**व्यय**
2018-19	2,678.66	1,530.96	1,778.50	1,276.50	907.13
2019-20	4,300.49	934.63	1,079.88	1,079.88	3,678.76
2020-21	1,652.57	1,443.10	1,336.74	636.74	1,379.95
2021-22	1,527.77	778.88	8,101.81	8,601.81	8,624.01
2022-23	4,284.50	4,284.50	4,212.00	4,212.00	2,845.71*
2023-24	1,741.50	1,741.50	-	-	-

*वित्त वर्ष 2022-23 के संबंध में व्यय के आंकड़े दिसंबर, 2022 तक के हैं।

नोट: - आरई 22-23 और बीई 23-24 के आंकड़े संसद के अनुमोदन के अधीन हैं।"

1.3 समिति के समक्ष पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के दौरान, निम्नलिखित जानकारी भी दी गई थी:

"नए डीपीएसयू के लिए आपातकालीन प्राधिकरण निधि

2,500 करोड़ रुपये (आरई 2021-22)

2,500 करोड़ रुपये (आरई 2022-23)

(करोड़ रुपये में)

डीपीएसयू	2021-22	2022-23
एमआईएल	899.68	449.84
एवीएनएल	552.08	276.04
एडब्ल्यूईआईएल	297.74	148.87
टीसीएल	357.73	178.86
वाईआईएल	299.71	149.86
आईओएल	75.94	37.97
जीआईएल	17.12	8.56
कुल	2,500	1,250

<u>आधुनिकीकरण के लिए बजट</u>

1.4 मंत्रालय से यह बताने के लिए कहा गया था कि नवगठित डीपीएसयू के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और उनके गठन के बाद से प्रस्तावित, नियोजित और कार्यान्वित प्रत्येक परियोजना/कार्यक्रम का पूरा विवरण क्या है, एक लिखित नोट में, मंत्रालय ने समिति को निम्नानुसार अवगत कराया:

"समकालीन विविनिर्माण प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बिठाने और विनिर्माण इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए नए डीपीएसयू निम्नलिखित तरीके अपना रहे हैं:

i. नवीकरण और प्रतिस्थापन (आरआर): उच्च मूल्य/अधिक टिकाऊ और मजबूत पीएंडएम के नवीकरण/पुनर्निर्माण के लिए मूल विनिर्माण सटीकता/कार्यों को बहाल करने और पुराने पीएंडएम के प्रतिस्थापन के लिए जो आर्थिक मरम्मत से परे (बीईआर) हैं और अप्रचलित हो गए हैं, के उद्देश्य के साथ विनिर्माण क्षमता बनाए रखना ।

ii. नई पूंजी (एनसी): भविष्य के उत्पादों के विनिर्माण के लिए या मौजूदा उत्पादों की क्षमता वृद्धि के लिए नवीनतम उपलब्ध प्रौद्योगिकी को शामिल करने और नई पूंजी मांग के रूप में या विभिन्न क्षमता विनिर्माण/संवर्धन परियोजनाओं के माध्यम से मौजूदा उत्पादों के लिए विशिष्ट विनिर्माण प्रक्रियाओं को संतुलित करने के लिए पीएंडएम का अर्जन।

iii. सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर: डीपीएसयू लगातार सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं अर्थात उत्पादन और सेवा भवन, बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति, संपीड़ित वायु आपूर्ति इत्यादि का आधुनिकीकरण कर रहे हैं।"

1.5 नए डीपीएसयू के गठन के बाद से प्रस्तावित, नियोजित और कार्यान्वित प्रमुख परियोजना/कार्यक्रम का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

डीपीएसयू	**नए डीपीएसयू की परियोजना/कार्यक्रम का ब्यौरा**	**टिप्पणी**
एमआईएल	बीएमसीएस विनिर्माण संयंत्र का उत्पादन आयुध निर्माणी नालंदा	नियोजित (आपूर्ति आर्डर पूरा हो गया है)
	आयुध निर्माणी भंडारा के लिए सिंगल बेस प्रोपलेंट संयंत्र	नियोजित (आपूर्ति आर्डर पूरा हो गया है)
	आरडीएक्स संयंत्र	प्रस्तावित/नियोजित
	एनजी संयंत्र	
	आरडीएक्स कम्पाउंड संयंत्र	
	टीएनटी संयंत्र	
	एनसी संयंत्र	
	एनआईजीयू(पिकराइट) संयंत्र	
एवीएनएल	सीएनसी 3 डी कॉर्डिनेट नाप मशीन	स्थापित
	ब्रोचिंग मशीन	
	सीएनसी गियर ग्राइंडिंग मशीन	
	सीएनसी गियर होबिंग मशीन	
	सीएनसी इंडक्शन हार्डेनिंग मशीन	
	सीएनसी 3 एक्सिस कार्बन लेजर कटिंग मशीन	
	सीएनसी जिग ग्राइंडिंग मशीन	
	300 केएन सीएनसी टरेट पंच प्रेस	
	नई प्रौद्योगिकी युक्त ऑटोमेटिक को-आर्डिनेट नाप	
	कंप्यूटरीकृत एक्स-रे रेडियोग्राफी प्रणाली	
	एसपीएम गन ग्राइंडिंग मशीन	
	चार मशीनिंग सेंटर युक्त नम्य मशीनिंग प्रणाली	
एडब्ल्यूईआईएल	एके-203 राइफल का स्वदेशी उत्पादन	प्रस्तावित/नियोजित
	स्टेबलाइज्ड रिमोट- कंट्रोल गन(एसआरसीजी) के	

	स्वदेशी उत्पादन के लिए संयंत्र एवं मशीनरी	
टीसीएल	बैलेस्टिक प्रोटेक्टिव गियर के लिए परीक्षण सुविधा के साथ बुलेट प्रतिरोधी जैकेट, हेलमेट के 25000 नगों के लिए क्षमता संवर्धन	
	ओईएफ हजरतपुर इकाई में पैराशूट विनिर्माण के लिए असेम्बली लाइन	
	उच्च तुंगता के लिए मदों के विनिर्माण हेतु ओसीएफएस में फ्लेक्सिबल अमेंबली लाइन उत्पादन शॉप	
	बहुउद्देशीय बूट एवं स्नो बूट के प्रति वर्ष 50000 नगों का विनिर्माण करने के लिए उत्पादन सुविधा	
वाईआईएल	पिनाका परियोजना के लिए हॉरिजेंटल बोरिंग एवं मिलिंग मशीन	स्थापित
	बड़े कैलीबर के बैरल के विनिर्माण के लिए 12 टी क्षमता का ईएसआर संयंत्र	
	मीडियम कैलीबर बैरल (10 टन ईएसआर संयंत्र) का विनिर्माण	
	स्टील कॉम्प्लेक्स - II के लिए हाइड्रोलिक फोर्जिंग प्रेस, 155 मिमी ईआरएफबी शेल, 125 मिमी एचई शेल एवं 130 मिमी एचई शेल के विनिर्माण के लिए प्रेसों की मरम्मत	प्रस्तावित/नियोजित
	नए ईएसआर संयंत्र के लिए विद्युत चालित गोल एनीलिंग/एंटी फ्लैस्किंग भट्टी	
	गोलाबारूद कंटेनर बाक्स एच2ए(बॉडी) के लिए फैब्रिकेशन एवं कनेक्टेड ऑटोमेशन युक्त प्रतिरोधी वेल्डिंग लाइन	
आईओएल	टी-90 टैंक के लिए डिजिटल बैलेस्टिक कंप्यूटर एवं ऑटोमेटिक लक्ष्य ट्रैकर	प्रस्तावित/नियोजित
जीआईएल	डबल नीडल सामान्य मशीन	प्रस्तावित/नियोजित
	चार नीडल वाली विशेष प्रयोजन मशीन	
	जिगजैग सामान्य मशीन	

1.6 समिति के समक्ष पावर प्वाइंट प्रस्तुति के दौरान, नए डीपीएसयू को वित्तीय सहायता के संबंध में निम्नलिखित जानकारी भी दी गई थी:

आधुनिकीकरण के लिए - 1,643 करोड़ रुपये (2021-22)
- 1,310 करोड़ रुपये (2022-23)

	2021-2022	2022-2023	2023-2024
डीपीएसयू	**1,643**	**1,310**	**1,310**
एडब्ल्यूईआइएल	347.74	226	225
एवीएनएल	310.14	282	290
जीआईएल	3.86	7	2
आईओएल	24.82	8	6
एमआईएल	696.55	577	580
टीसीएल	7.04	7	7
वाईआईएल	252.85	203	200
अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) के निर्णय के अनुसार, नए डीपीएसयू को वित्तीय सहायता 2026-27 तक प्रदान की जाएगी			

<u>ऑर्डर बुक की स्थिति</u>

1.7 अगले पांच वर्षों के लिए आयुध कारखानों में ऑर्डर बुक की स्थिति के मुद्दे पर, रक्षा मंत्रालय ने समिति को निम्नानुसार अवगत कराया:

"अगले पांच वर्षों के लिए नव निर्मित डीपीएसयू के लिए ऑर्डर बुक की स्थिति, पीएसयू-वार निम्नानुसार है :

क्र.सं	डीपीएसयू	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	कुल
1	एमआईएल	6788.81	4573.12	4828.92	शून्य	शून्य	16190.85
2	एवीएनएल	5065.40	5504.30	9840.40	6609.50	560.00	27579.6
3	एड्ब्लयूईआई एल	1915	1194	692	606	385	4792
4	टीसीएल	88.89	17.94	2.37	शून्य	शून्य	109.2
5	वाईआईएल	700					****
6	आईओएल	2004.98	2255.79	1636.07	16.96	8.39	5922.19
7	जीआईएल	131.5	89.66	55.31	3.72	शून्य	280.19
कुल		**16694.58**					

****वाईआईएल- पीएसयू मुख्य रूप से अन्य नई रक्षा कंपनियों को समय-समय पर उत्पादों / कच्चे माल/ संघटकों की आपूर्ति के लिए है । इसलिए, वाईआईएल के मामले में सेनाओं के साथ अगले 05 वर्षों के लिए ऑर्डर बुक स्थिति उपलब्ध नहीं है। अन्य न्यू डिफेंस कंपनियों के साथ अनुबंध वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आवश्यकताओं के अनुसार संपन्न किए जा रहे हैं ।

नव निर्मित डीपीएसयू में पूर्ववर्ती ओएफबी के पुनर्गठन का उद्देश्य आयुध निर्माणियों को उत्पादक और लाभदायक संपत्तियों में बदलना, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और दक्षता में सुधार करना है। अधिक कार्यात्मक और वित्तीय स्वायत्तता के साथ, ये नए डीपीएसयू देश के साथ-साथ विदेशों में भी नए बाजारों का पता लगाएंगे।"

1.8 समिति के मौखिक साक्ष्य के दौरान, पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से, नए डीपीएसयू के सभी सीएमडी ने इस विषय पर निम्नवत बताया:

i) **म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल)**

“सर, हम लोगों की जो ऑर्डर बुक है, शुरू में हमें पांच साल के लिए भारत सरकार ने जब कॉर्पोरेशन बनाया तो हमें ऑर्डर्स दिए। ऑर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो पुराने ऑर्डर्स थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट किया गया। उसके अतिरिक्त भी हम लोगों ने अपने एफर्ट्स से पिछले कुछ समय में ऑर्डर्स लिये हैं। अभी जो ऑर्डर बुक पोजिशन है, वह स्क्रीन पर दिखाई गई है।“

ii) **आर्मर्ड व्हिकल्स निगम लिमिटेड (एवीएनएल)**

“हमारे पास इस समय जो ऑर्डर बुक पोजिशन है, वह काफी हेल्दी है। इस समय हमारे पास अगले छः साल के जो ऑर्डर पोजिशन हैं, वे इस स्लाइड में दिखाए गए हैं। करीब 36 हजार करोड़ के हमारे पास ऑर्डर्स हैं। उसमें से करीब पांच हजार करोड़ हम इस साल लिक्विडेट कर रहे हैं। उसके बाद, हमारे पास अगले चार साल का ऑर्डर ऐवलेबल हैं। लॉस्ट ईयर छः महीने के ऑपरेशन्स में हमने 2625 करोड़ रुपये का प्रोडक्शन किया था।”

iii) **<u>एडवांस्ड वेपन्स एंड ईक्विप्मंट इंडिया लिमिटेड (एड्ब्लयूईआईएल)</u>**

“सर, जब हमने ऐेज ए कॉर्पोरेट काम करना शुरू किया था, तब हमारे पास करीब 4500 के ऑर्डर्स थे। उसके बाद करीब साढ़े तीन हजार करोड़ के ऑडर्स हमने ऐड किए हैं। पिछले वर्ष के प्रोडक्शन को निकलाने के बाद करीब 7000 करोड़ के ऑर्डर्स आज मौजूद हैं। फर्दर 4200 करोड़ रुपये के ऑर्डस पाइपलाइन में हैं। इस वर्ष के अंत तक करीब 9000 करोड़ रुपये का कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर बुक रहेगा, जो रिजनेबली हेल्दी कहा जा सकता है।”

iv) **<u>इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल)</u>**

“हमें शुरू में पांच साल का आर्डर पोजीशन मिला था, उसमें लगभग हमने 658 करोड़ रुपये और जोड़ लिए हैं। आज की तारीख में हमारी आर्डर पोजीशन काफी हेल्दी है। वह 7,647 करोड़ रुपये की है। कल फाइनली 300 करोड़ रुपये का डीएनएस और असॉल्ट राइफल का ऑर्डर आने वाला है। हमने डेढ़ साल में लगभग हजार करोड़ रुपये सिक्योर किए हैं। पोस्ट निगमीकरण और कंपीटिटिव बिडिंग से जैम के जरिए है।

v) **<u>ट्रूप कंफ़र्ट्स लिमिटेड (टीसीएल)</u>**

“इसके बाद ऑर्डर बुक पॉजिशन आती है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जब हमारा डीम्ट् कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो डीम्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमें केवल एक साल का लोड मिला था, क्योंकि हमारे जो ट्रूप कंफर्ट आइटम्स है, उन्हें आर्मी हर साल एनुअल रिक्वायरमेंट पर ऑर्डर प्लेस करती थी इसलिए हमें डीम्ट कॉन्ट्रैक्ट में केवल एक साल का लोड मिला, जिसे हम इस साल पूरा कर रहे हैं। इसके बाद हमें डीम्ट कॉन्ट्रैक्ट में लोड नहीं मिला। हम लोड लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम और हमारे अधिकारी, जनरल मैनेजर्स इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमें लोड मिलेगा और हम ऑर्डर लेकर आएंगे। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। हम जिस एरिया में पहले नहीं जाते थे, उस एरिया में भी जाकर हम थोड़ा-थोड़ा लोड लेकर आए है। हम केरल पुलिस से लोड लेकर आए हैं। लद्दाख पुलिस से भी हमें ऑर्डर मिला है। हमें एमएचए से भी ऑर्डर मिला है। हमें असम पुलिस से भी ऑर्डर मिला है। बिहार पुलिस से भी ऑर्डर मिला है। छोटे-छोटे ऑर्डर्स मिले हैं, लेकिन अब हमारे नए-नए एवेन्यू खुल रहे हैं। हम होपफुल है कि हमारा लोड पोर्शन इम्प्रूव करेगा और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। इसके लिए काफी बातचीत भी चल रही है। हमारा जो फाइनेंशियल अचीवमेंट है।”

vi) **<u>ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल)</u>**

"ऑर्डर बुक की पोजीशन ऐसी है कि जब 1 अक्टूबर, 2021 को हमारी ग्रैंडफादरिंग हुई थी, उस समय हमें 548.9 करोड़ रुपये के ऑर्डर्स मिले थे। उसके बाद अन्य इंडेंटर्स से हमें 152 करोड़ रुपये के ऑर्डर्स मिले हैं। इस साल अप्रैल के बाद हमें करीब 30.67 करोड़ रुपये के ऑर्डर्स मिले हैं। जनवरी तक हमने जितना सप्लाई कर दिया है, उसे छोड़कर हमारे पास 502 करोड़ रुपये की ऑर्डर बुक है। इसके अतिरिक्त हमें नेवी, एयरफोर्स, डीआरडीओ और एचएएल से करीब 59 करोड़ रुपये के ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है।"

vii) **<u>यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल)</u>**

"जब निगमीकरण हुआ, उस समय हम लोगों को बहुत कम डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट्स मिल पाएं, क्योंकि हमारी ज्यादा सप्लाइज सर्विसेज़ को नहीं होती है। हमारी जो मेजर कस्टमर बेस है, वह आर्डिनेंस फैक्टरी ही थी। जो कि अभी म्युनिशंस इंडिया लिमिटेड, एडबल्यूआईएल और एवीएनल के अंदर है। पार्टली ग्लाइडर इंडिया लिमिटेड के साथ भी है। जब हमने स्टार्ट किया था, हमारे पास करेंट इयर में 2,410 करोड़ रुपये का वर्कलोड है। जबकि पिछले साल हमारे पास सिर्फ 1,000 करोड़ रुपये का वर्कलोड था। अगले साल के लिए भी वर्कलोड है। उसके अगले साल के लिए भी विभिन्न ईकाई सपोर्ट कर रहे हैं। चूंकि हम लोग बिल्कुल रॉ मैटेरियल से स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट इयर जो फाइनेंशियल था, हमें पिछले छः महीने में 123 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था। यह लॉस जरूर दिख रहा है, लेकिन उसके छः महीने पहले से 400 करोड़ रुपये के लॉस से कम हुआ है।"

1.9 अनुदान मांगों 2023-24 पर चर्चा के दौरान, समिति ने यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल) की बहुत कम ऑर्डर बुक स्थिति के बारे में जानना चाहा, इस संबंध में सीएमडी, वाईआईएल ने निम्नवत बताया:

"यंत्र इंडिया लिमिटेड की फैक्टरीज हैं, ये म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेड, एवीएनएल और एडबल्यूआईएल के लिए हार्डवेयर बनाती हैं। जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं,प्रत्येक वर्ष वे हमें आर्डर दे रहें हैं । आपने देखा होगा कि म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड की ऑर्डर बुक वर्ष 2026-27 तक लगभग 27 हजार करोड़ रुपये की है। प्रत्येक वर्ष वे हमें आर्डर दे रहें हैं । अब म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड भी हमें तीन साल का ठेका देने पर सहमत

हुई है और यही कारण है कि आप वर्ष 2023-24 और 2024-25 में कुछ कम मात्रा देख रहें हैं । अगले तीन वर्षों के लिए अन्य डीपीएसयू भी आर्डर देंगे । हमारे आर्डर की स्थिति में भी सुधार होगा ।"

<u>अनुसंधान एवं विकास पर व्यय</u>

1.10 मंत्रालय से यह पूछा गया कि क्या डीपीएसयू की उत्पादन संबंधी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए प्रत्येक डीपीएसयू में कोई आंतरिक अनुसंधान और विकास किया जाता है और यदि हां, तो इनकी शुरूआत से समग्र आवंटन/पूंजी/कारोबार में अनुसंधान और विकास व्यय का प्रतिशत कितना रहा है ।

मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में समिति को निम्नवत बताया :

''....नए डीपीएसयू के अंतर्गत विनिर्माण इकाइयां आयुध, गोला-बारूद और उपस्करों के डिजाइन, विकास और उत्पाद उन्नयन के लिए आंतरिक अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) परियोजनाएं शुरू करती हैं। डीपीएसयू में आयुध विकास केंद्र (ओडीसी) अनुसंधान एवं विकास के लिए विशिष्ट तकनीकी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये इकाइयां शैक्षणिक संस्थानों, भारत सरकार के स्वामित्व वाली प्रयोगशालाओं और अन्य स्वदेशी निजी निर्माताओं के साथ सहयोगी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं भी शुरू करती हैं ।

नए डीपीएसयू द्वारा आरंभ से आर एण्ड डी पर किया गया व्यय इस प्रकार है :

डीपीएसयू	**वर्ष 2021-22 के लिए आर एण्ड डी व्यय**		**वर्ष 2022-23 के लिए नियोजित आर एण्ड डी व्यय**	
	मूल्य (करोड़ रु .में)	वर्ष 2021-22 (% में) के लिए कुल कारोबार/ वीओआई का प्रतिशत	मूल्य (करोड़ रु. में)	वर्ष 2022-23 (% में) के लिए कुल कारोबार/ वीओआई का प्रतिशत
एमआईएल	13.42	0.52%	61	1%
एवीएनएल	7.72	0.22%	20.81	0.43%
एडब्ल्यूईआईएल	7.17	0.67%	42	2%
टीसीएल	0.63	0.11%	5	0.47%
वाईआईएल	4.33	0.45%	18.0	0.92%
आईओएल	1.09	0.19%	3.00	0.28%
जीआईएल	0.16	0.13%	1.05	0.62%

1.11 अनुसंधान और विकास कार्य की आउटसोर्सिंग के संबंध में मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में आगे निम्नवत बताया:

“नव निर्मित डीपीएसयू इन हाउस अनुसंधान और विकास के माध्यम से तथा डीआरडीओ/उद्योग/शैक्षणिक संस्थानों,के सहयोग से नवोन्नत उपस्करों,हथियारों/आयुध प्लेटफार्मों का विकास किया है । इनमें से प्रमुख उत्पाद इस प्रकार हैं :

i. ड्रोन असिस्टेड डिलीवरी एम्युनिशन टर्मिनल गाइडेड म्यूनिशन
ii. गाइडेड बम
iii. 70 मिमी रॉकेट
iv. टी-90 टैंक के लिए परमाणु विकिरण एवं रसायन युद्ध प्रणाली एजेंट डिटेक्टर का स्वदेशीकरण
v. टी-90 भीष्म टैंक के लिए ऑटोमेटिक गियर शिफ्टर का विकास
vi. आर्टिलरी गोलाबारूद के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट डेटोनेशन(पीडी मोड) का विकास/उत्पादन
vii. पैराशूट टैक्टिकल असॉल्ट गजतज-2 प्रणाली(पीटीए जी-2)
viii. सैन्य युद्धक पैराशूट प्रणाली(एमसीपीएस)
ix. 155 x 52 कैलीबर टोड गन
x. 155 x 52 कैलीबर माउंटेड गन प्रणाली
xi. 60 मिमी मोर्टार
xii. एरिया डिनायल म्यूनिशन्स(डीपीआईसीएम पिनाका)
xiii. पिनाका एमके- I एनहान्स्ड रॉकेट
xiv. गाइडेड पिनाका रॉकेट
xv. 40 मिमी एचई एमजीएल

नव निर्मित डीपीएसयू सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी स्वामित्व वाली प्रयोगशालाओं और भारतीय निजी निर्माताओं से डिजाइन और प्रोटोटाइप विकास में सहायता के लिए सहयोगी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं चलाते हैं। वे आरएण्डडी संबंधी कार्यों को प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों और सरकारी प्रयोगशालाओं को आउटसोर्स पर देते हैं । नव निर्मित डीपीएसयू ने मेक-II के साथ-साथ आइडेक्स अम्ब्रेला के तहत नई प्रौद्योगिकियों के लिए सहयोगी विकास परियोजनाएं शुरू की हैं ।”

1.12 मौखिक साक्ष्य के दौरान निदेशक, एवीएनएल ने समिति को एंटी टैंक मिसाइलों से सुरक्षा के क्षेत्र में एवीएनएल द्वारा किए जा रहे अनुसंधान एवं विकास कार्य के बारे में निम्नवत अवगत कराया:

"हमने इस दिशा में कार्य करना शुरु कर दिया है । हमने आरएंडडी प्रोजेक्ट्स लिए हैं और इसमें हमने इस तरह के इनपुट्स हासिल किए हैं, जिससे कि यह पता चले कि क्या-क्या चीजें हमें इनकॉरपोरेट करनी पड़ेंगी। हमारा प्रयास है कि यह व्हीकल उस प्रकार के वातावरण में कार्य करने में सक्षम हो । लॉइटरिंग एम्यूनिशन, सक्रिय रक्षा प्रणाली, चौथी और पाँचवी जनरेशन मिसाइलें, ये सारी चीजें उसमें इनकॉरपोरेट करने के लिए हमने आरएंडडी प्रोजेक्ट्स लिए हैं। इसके साथ में, विशेषकर बीएमपी में ड्रोन का प्रयोग और बारूदी सुरंग रोधी वाहन, इन दोनों में हमने ड्रोन यूज करने के लिए भी आरएंडडी प्रोजेक्ट्स लिए हैं।"

पावर प्वायंट प्रस्तुतीकरण के दौरान सीएमडी, एमआईएल ने इस विषय के संबंध में निम्नवत बताया:

"हम लोग आर एंड डी पर भी काफी फोकस कर रहे हैं। पिछले वर्ष के छः महीने में हम लोगों ने 13 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया है। इस बार हम लोग 60 करोड़ का प्लान कर रहे हैं। आगे आने वाले वर्षों में हम इसको और बढ़ाएंगे। हमारे नौ मुख्य प्रोडक्ट हैं, जिसको हम आर एंड डी प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप कर रहे हैं।"

सीएमडी, एवीएनएल ने पावर प्वायंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से इस विषय के संबंध में निम्नवत बताया:

"हमारा दूसरा फोकस एरिया यह है कि हमारी सर्विसेज को नई व्हीकल्स या नये प्रोडक्ट्स की रिक्वॉयरमेंट है, उनको हमने डेवलपमेंट के लिए टेकअप किए हैं। उन प्रोजेक्ट्स का टोटल कॉस्ट 414 करोड़ रुपये है। हमने 32 प्रोजेक्ट्स लिये हैं। उनमें से मेजर जो आर एंड डी प्रोजेक्ट्स हैं, वे फ्यूचरिस्टिक टैंक्स, फ्यूचरिस्टिक आईसीबी, लाइट टैंक और अपरेटिंग ऑफ टी-72,780 टू 1000 हॉर्स पावर है। ये हमारे मेन प्रोडक्ट्स हैं, जिनको हमने आर एंड डी में टेक-अप किए हैं।

सर, इसके बढ़ने के लिए हमने अपना जो मार्ग बनाया है, उसमें सबसे पहला यह है कि अब हम सिस्टम इन्टीग्रेटर बनना चाहते हैं ताकि हम अपने साथ काफी भारतीय उद्योगों को जोड़ सकें । वे हमारे साथ काम करें और हम सिस्टम इंटीग्रेटेड जैसा काम करें।"

सीएमडी, टीसीएल ने पावर प्वायंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से इस संबंध में निम्नवत बताया:

“उसी प्रकार हम बहुत सारे आइटम्स डेवलप कर चुके हैं और काफी आइटम्स हम डेवलप करने वाले हैं, क्योंकि हमने फोकस रखा है कि हमारा आरएंडडी जितना स्ट्रोंग होगा, जितने ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्ट लेकर आएंगे, उतनी ही हम हमारे टीसीएल की कंसिस्टेंसी को आगे लेकर जाएंगे। आरएंडडी में हमारे पिछले साल का एक्सपेंडीचर 0.4 परसेंट था और इस साल 1.2 परसेंट के आस पास बुकिंग हो चुकी है। अगले साल का लक्ष्य हमारा 2 परसेंट का है और उसके आगे 3 से 4 परसेंट का लक्ष्य हम आरएंडडी में फोकस कर रहे हैं।”

सीएमडी, एवीएनएल ने पावर प्वायंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से समिति को इस विषय के संबंध में आगे निम्नवत बताया:

...... जैसा कि मैंने बताया है कि आरएंडडी में अधिक से अधिक फोकस करना है। नए से नए उत्पाद लेकर आना है। हम बहुत सारे ओईएम के साथ बिजनेस पार्टनरशिप पर भी काम कर रहे हैं। हम नए-नए प्रोडक्ट्स पर भी जा रहे हैं। हमारे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास से एमओयू हो चुके हैं। निफ्ट से भी एमओयू हुआ है कि हम ड्रेस की डिजाइनिंग भी करे। हमारे बोर्ड ने सिविल मार्केट के लिए भी डिसाइड किया है कि हम बहुत कुछ बना सकते हैं। सिविल मार्केट में हमने एक टारगेट रखा है कि 10 परसेंट हमारा जो टर्न ओवर है, उसे हम सिविल मार्केट में लेकर जाए। आज की तारीख में हमारा बहुत छोटा सा प्रेजेंस फ्लिपकार्ट और अमेजन पर है। उसको हम धीरे-धीरे आगे बढ़ाएंगे।”

सीएमडी, जीआईएल ने पावर प्वायंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से **अनुसंधान और विकास** के संबंध में निम्नवत बताया:

“क) उद्योग नीत अनुसंधान और विकास हेतु एकेडेमिया आईआईटी और स्टार्टअप्स के साथ मिलजुलकर काम

ख) परामर्शक के रुप में पैराशूट डिजाइन विशेषज्ञों के मिलजुलकर काम

ग) विदेशी ओईएम के मिलजुलकर काम”

स्वदेशीकरण

1.13 यह पूछे जाने पर कि क्या नव निर्मित डीपीएसयू में स्वदेशी औद्योगिक क्षमता है जो देश के लिए सशस्त्र बलों को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्माण और आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

> "हां, नवनिर्मित डीपीएसयू के तहत आयुध निर्माणियों में शस्त्र, गोलाबारूद और उपस्करों की आपूर्ति के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक क्षमता है।"

1.14 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के प्रमुख कदमों के संबंध में हुई प्रगति संबंधी नवनिर्मित डीपीएसयू के योगदान (इनपुट) के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

> "सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई नीतिगत पहल की हैं और देश में रक्षा उपस्करों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सुधार किए हैं, जिससे देश में रक्षा विनिर्माण एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके । इन पहलों में, अन्य बातों के साथ-साथ, रक्षा अर्जन प्रक्रिया (डीएपी)-2020 के तहत घरेलू स्रोतों से पूंजीगत मदों की अधिप्राप्ति को प्राथमिकता देना, सेनाओं की कुल 411 मदों की चार 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची' और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) की कुल 3738 मदों की तीन 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची' की अधिसूचना, जिसके लिए उनके सामने दर्शाई गई समय सीमा से परे आयात पर प्रतिबंध होगा; लंबी वैधता अवधि के साथ औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण; स्वत: मार्ग के तहत 74% एफडीआई की अनुमति देने वाली एफडीआई नीति का *उदारीकरण;* मेक प्रक्रिया का सरलीकरण; मिशन डेफस्पेस की शुरूआत, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आइडेक्स) योजना का शुभारंभ जिसमें स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) शामिल हैं; "सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 का कार्यान्वयन; एमएसएमई सहित भारतीय उद्योग द्वारा स्वदेशीकरण की सुविधा के लिए सृजन नामक एक स्वदेशीकरण पोर्टल का शुभारंभ; निवेश को आकर्षित करने पर बल देने के साथ और उच्च गुणक प्रदान करके रक्षा विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए ऑफसेट नीति में सुधार और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में एक-एक रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना; उद्योग के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास (आरएण्डडी) खोलना; 25 प्रतिशत रक्षा आरएण्डडी बजट के साथ स्टार्टअप्स एवं शैक्षिक संस्थान, घरेलू स्रोतों से अधिप्राप्ति के लिए सैन्य आधुनिकीकरण के रक्षा बजट के आवंटन में प्रगामी वृद्धि इत्यादि शामिल हैं।"

सेना डिजाइन ब्यूरो और भारतीय सेना भारत सरकार के मेक इन इंडिया प्रमुख कार्यक्रम को गति देने के लिए पूंजी अर्जन की मेक II प्रक्रिया में उपलब्धियों का नेतृत्व कर रही है। भारतीय सेना वर्तमान में 40 मेक II परियोजनाओं में भाग ले रही है।

स्वदेशीकरण में तेजी लाने पर ध्यान देने के साथ, नए डीपीएसयू द्वारा की गई प्रगति इस प्रकार है:

(i) एमआईएल द्वारा स्वदेशीकरण के लिए पीआईएल I,II, III में कुल 42 कच्ची सामग्रियों/संघटकों/उप-असेंबलियों की सूची दी गई है ।
(ii) एवीएनएल द्वारा मेक इन इंडिया योजना के तहत नामिका बीएमपी-II वाहन में (नाग मिसाइल कैरियर) और ब्रिज लेयर टैंक (बीएलटी) के लिए हल का विकास ।
(iii) एडब्ल्यूईआईएल द्वारा हाल के समय में प्रमुख उत्पादों का स्वदेशीकरण किया गया है जिसमें 155 x 45 मिमी धनुष गन प्रणाली का पॉवर पैक, एके 630 नेवल गन के एओ 18 बैरल का पूर्ण रूप से स्वदेशीकरण और एके 630 नेवल गन प्रणाली का न्यूमेटिक बेल्ट फीड बूस्टर इत्यादि शामिल हैं ।
(iv) टीसीएल ने स्वदेशीकरण परियोजना और मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम के तहत सात लेयर वाले ईसीडब्ल्यूसीएस (अत्यधिक ठंड के मौसम वाले वस्त्र), बहुउद्देशीय बूट, बूट क्रैम्पआन एवं मॉड्यूलर दस्ताने जैसी मदों का विकास किया है ।
(v) आईओएल ने स्वदेशीकरण के लिए 69 मेक-II परियोजना संस्वीकृति आदेश एमएसएमई एवं स्टार्ट-अप्स को दिए हैं ।
(vi) जीआईएल द्वारा विनिर्मित की जाने वाली सभी मदों में बगैर किसी आयात सामग्री के शतप्रतिशत स्वदेशी मदें होती हैं ।

1.15 यह पूछे जाने पर कि पुर्जों और संघटकों के आयात को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"वर्तमान में आयुध निर्माणी मदों में आयात की मात्रा लगभग 8-10% है जिसमें पुर्जे और घटक भी शामिल हैं ।

इन-हाउस प्रयासों, स्रोत विकास, मेक-II प्रक्रिया आदि के माध्यम से आयात सामग्री को और कम करने के लिए नव निर्मित डीपीएसयू द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। आयातित पुर्जों और संघटकों की सूची स्वदेशीकरण और भारतीय उद्योग के माध्यम से विकास के लिए सृजन रक्षा पोर्टल पर भी प्रदर्शित की जा रही है।"

1.16 मौखिक साक्ष्य के दौरान, नव निर्मित डीपीएसयू के सीएमडीज् ने भी समिति को इस विषय के बारे में निम्नवत बताया:

i) **<u>म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड (एमआइए)</u>**

"हम लोग आत्मनिर्भर भारत को आत्मसात करते हुए इंडिजेनाइजेशन के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। इस समय हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें इंडिजेनस कंटेंट 95 परसेंट है। केवल 5 परसेंट कंटेंट ही ऐसा है, जिसमें हमें बाहर से लेना पड़ता है।"

ii) <u>आर्मर्ड वेहिकल्स निगम लिमिटेड (ए वी एन एल)</u>

"निस्संदेह, इंडिजेनाइजेशन **<u>एवीएनएल की एक प्रमुख ताकत है</u>** । हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें इंडिजेनाइजेशन का लेवल बहुत हाई है। कुछ प्रोडक्ट्स तो ऑलरेडी हंड्रेड परसेंट इंडिजेनस हैं। जो पहले बुलेट प्वाइंट में दिखाये गए हैं- जैसे सीआरएन-91 नेवल गन, कवच, नेवल डेक्वॉय सिस्टम, इस तरह से कुछ माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल और लॉजिस्टिक व्हीकल हैं, जो इंडिजेनस हैं। जितने भी टैंक में इंजन लगते हैं, टी-72 और टी-90 टैंक में जो लगते हैं, वे पूरी तरह से इंडिजेनस हैं। इसके अलावा जो टी-72 टैंक है, वह 96 परसेंट इंडिजेनाइज्ड हो गया है। टी-90 टैंक करीब 82 परसेंट है। बीएमपी जो आईसीवी व्हीकल है, वह 98 परसेंट है और उसका जो इंजन है, केवल वही 90 परसेंट है। बाकी, दोनों इंजन ऑलरेडी 100 परसेंट हो गए हैं। इसी तरह से अभी हमने इंडिजेनाइजेशन के लिए जो नये आइटम्स लिये हैं, उनकी संख्या 31 हैं। उनमें से 8 आइटम ऑलरेडी इंडिजेनाइज्ड हो गए हैं। उससे हमें जो सेविंग अचीव हुई है, वह 112 करोड़ रुपये है।"

iii) <u>एडवांस्ड वीपंस एंड इक्विप्मन्ट इंडिया (ए डवल्यूईआईएल)</u>

"हमारा स्वीदेशीकरण प्रतिशत भी काफी हाई है, जो 94 प्रतिशत है, जो बैलेंस 6 प्रतिशत है, हम लोग अगले तीन सालों में उसको हासिल कर लेंगे। हमारा मेजर फोकस एरिया आरएंडडी है, डोमेस्टिक और ग्लोबल रिक्वॉयरमेंट्स को कैटर करते हुए, हमने सारे प्रोडक्ट रेंज में प्रोडक्ट्स आइडेन्टीफाई किए हैं। हम उन पर काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। ज्यादातर प्रोडक्ट्स डिस्प्लेड हैं। हम सभी प्रोडक्ट्स का इंटरनल ट्रॉयल कंप्लीट कर चुके हैं और उसको लॉन्च करने की स्टेज में हैं। पिछले वर्ष के सेकेंड हॉफ में हमारे जो मेजर अचीवमेंट्स रहे हैं, देश का पहला स्वदेशी डेवलेप एंड डिजाइन आर्टीलरी गन धनुष था, जो इंडियन आर्मी में

इंडक्ट और डिप्लॉई हो चुका है। राइफल फैक्टरी, ईशापुर जो हमारी ग्रुप में आती है, उसको पिछले वर्ष इनोवेशन प्रोडक्ट की कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था।"

iv) **इंडिया ऑपटेल लिमिटेड (आईओएल)**

"स्वदेशीकरण हमारा मेन थ्रस्ट रहा है। स्वदेशीकरण से एक तो कॉस्ट में कमी आती है इंपोर्ट सब्सिटिट्यूसन हेतु हमने उसके लिए स्टार्ट अप्स को फोकस किया है। स्टार्ट अप्स, आईआईटी और एमएसएमई के साथ मिलकर जितने भी इंपोर्ट ओरिजन के कंपोनेंट्स थे, हमने उनको काफी हद स्वदेशीकरण में सफलता प्राप्त की है। बैटल टैंक के साइट सिस्टम 8-10 सब-सिस्टम का स्वदेशीकरण हो चुका है। हमने छः महीने के अंदर ड्राइवर नाइट साइट डेवलेप किया है और हमको इमरजेन्सी प्रिक्योरमेंट में कल ऑर्डर भी मिल गया है। छः महीन के अंदर ये सारी चीजें हुई हैं। टी-72 तो 100 प्रतिशत है, बीएमपी 100 प्रतिशत स्वदेशी है। टी-90 में 78 प्रतिशत है, जो इस साल 82 प्रतिशत तक चला जाएगा।"

v) यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल)

"इसके अलावा हमारी यूनिट ऐसी है, जहां पर 100 प्रतिशत स्वदेशीकरण है। हमारा कोई भी रॉ मैटेरियल कहीं से भी इंपोर्ट नहीं होता है। 100 प्रतिशत स्वदेशीकरण मैन्युफैक्चरिंग होती है और जीरो प्रतिशत इंपोर्ट है। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत में यंत्र इंडिया लिमिटेड ऐसी ईकाई है, जहां पर ऑलरेडी स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसके अलावा हम कुछ मेजर आरएंडडी प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, जिसमें म्युनिशंस इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर हम कार्य कर रहे हैं। जो स्मार्ट एम्युनेशन है या डीपीआईसी है, पिनाका के वैरियर रॉकेट्स हैं, गाइडेड रॉकेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल फ्यूजेज हैं। हम लोग इन सबसे नए प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं और नए प्रोडक्ट्स डेवलेप कर रहे हैं।"

vi) **ट्रूप कमफ़र्टस लिमिटेड (टीसीएल)**

"चूँकि ट्रूप कम्फर्ट लिमिटेड की जो प्रोडक्ट रेंज है, ट्रेडिशनली जितने भी प्रोडक्ट हैं, वे बहुत लॉ एंट्री बेरियर है। हमने यह डिसाइड किया कि जो स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें हम बनाए। उसमें हमने फोकस इंडिजिनाइजेशन पर किया। इंडिजिनाइजेशन हमारा नहीं है, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आज के समय हमारा 100 परसेंट इम्पोर्ट जीरो हो गया है। आज पूरा का पूरा इंडिजिनाइजेशन है, लेकिन हमने यह देखा कि हमारा मेजर कस्टमर इंडियन आर्मी है और 90 से 95 परसेंट हमारा प्रोडक्ट इंडियन आर्मी को जाता है। हमने देखा कि जो इंडियन आर्मी इम्पोर्ट

करती है, उसको हमने पहले टारगेट किया कि इस आइटम को हम बना सकते हैं। उसको हमने डेवलप किया।”

vii) **<u>गलाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल)</u>**

“मैं गगनयान का रिकवरी पैराशूट सिस्टम हम लोगों ने सक्सेसफुली बनाया और सप्लाई किया है। उसकी ट्रायल्स होनी है, लेकिन जो इंसपेक्शन रिपोर्ट है, उसके हिसाब से यह पास हुआ है। ड्रोन रेस्क्यू पैराशूट्स, जिसकी रिक्वायरमेंट और मार्केट आने वाले समय में बढ़ने वाला है। हमने इसका डिजाइन इन-हाउस, अपने ही रिसोर्सेस से किया था। मार्केट में लांच करने के लिए यह आइटम भी रेडी है।”

<u>निर्यात</u>

1.17 मंत्रालय से यह पूछे जाने पर कि निर्यात किए गए उत्पादों की मात्रा और मूल्य के संबंध में पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान तुलनात्मक आंकड़े प्रदान करें, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“नवसृजित डीपीएसयू ने अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए निर्यात फोकस क्षेत्र की पहचान की है । वे सक्रिय रूप से सरकार और अन्य चैनलों से प्राप्त विभिन्न लीड्स पर कार्रवाई कर रहे हैं । नव निर्मित डीपीएसयू सरकार द्वारा दी गई निर्यात मंजूरी के आधार पर मित्र देशों को उत्पादों का निर्यात करते हैं । पूर्ववर्ती ओएफबी द्वारा विभिन्न देशों को पिछले तीन वर्षों के निर्यात का विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**वर्ष**	**मूल्य**
1	2019-20	140.94
2	2020-21	94.61
3	2021-22	81.08

i) **<u>म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड (एमआईएल)</u>**

सीएमडी, एमआईएल ने मौखिक साक्ष्य के दौरान यह भी बताया:

"सर, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले 18 महीनों में हम लोगों ने एक्सपोर्ट के फील्ड में काफी काम किए हैं और काफी कोशिशें की हैं। हमें 2000 करोड़ रुपये के फर्म ऑर्डर्स मिल चुके हैं और लगभग 1500 करोड़ के ऑर्डर फाइनल स्टेज में हैं। हमें पूरा विश्वास है कि मार्च के एंड तक लगभग साढे तीन हजार करोड़ के ऑर्डर्स हमारे बुक हो जाएंगे।"

ii) **<u>आरमर्ड वेहिकल्स निगम लिमिटेड (एवीएनएल)</u>**

सीएमडी, एवीएनएल ने_बताया:

"इसी तरह से हमारा अगला फोकस कस्टमर डायवर्सिफिकेशन के लिए है। वह बेसिकली एक्सपोर्ट के लिए है कि हम जिस-जिस कंट्री में पॉसिबल है, वहां हम एक्सपोर्ट करें"

iii) **<u>एडवांस्ड वीपंस एंड इक्विप्मन्ट इंडिया (एडवल्यूईआईएल)</u>**

सीएमडी, **एडवल्यूईआईएल ने यह भी बताया**:

"हमने जैसा बताया है कि करीब 35 करोड़ रुपये के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हासिल किए हैं और हम लोग दूसरे लीड में काम कर रहे हैं।"

समिति के समक्ष पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के दौरान निम्नलिखित जानकारी भी दी गई:

एडवल्यूईआईएल को आर्टिलरी गन पुर्जों, छोटे हथियारों के ऑर्डर मिले हैं।

iv) **<u>इंडिया ऑपटेल लिमिटेड (आईओएल)</u>**

सीएमडी, आईओएल ने इस विषय के संबंध में यह भी बताया:

"जैसा कि मैंने पहले बताया है, हमारे सब सिस्टम्स हैं। हम मेन प्लेटफार्म नहीं बनाते हैं। ये सब चीजें हैं, हमें जिसके लिए इन्क्वॉयरी मिली है। जो बेचते हैं, हम उनके थ्रू बिजनेस एक्सपोर्ट करते हैं। हमको डॉयरेक्ट एक्सपोर्ट की क्वैरी नहीं आती है। ये हमारा एक डिसएडवांटेज है, लेकिन फिर भी कई सारी कंपनियों में हमारा सामान जाने के प्रोसेस में है।"

समिति के समक्ष पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के दौरान निम्नलिखित जानकारी भी दी गई:

i) सिमुलेशन परीक्षण और इंटेरोगेशन किट, टी-72 टैंक के साइट, बीएमपी-II के साइट, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर और टेलीस्कोप 84 मिमी आरएल एमके-III निर्यात क्षमता वाले आईओएल के उत्पाद हैं

ii) नाटो मानकीकरण के अनुसार सभी उपकरणों का कोडीकरण

iii) ग्राहक/सरकारी एजेंसियों, विदेशों में स्थित विभिन्न भारतीय दूतावासों के साथ नियमित रूप से संपर्क करना ताकि निर्यात रुझानों पर आगे कारवाई की जा सके।

iv) निर्यात के नजरिये से महत्वपूर्ण देश अल्जीरिया, श्रीलंका, मध्य पूर्व देश, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, भूटान और नेपाल हैं।

v) <u>यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल)</u>

सीएमडी, **वाईआईएल** ने यह भी बताया:

"हम लोगों ने थोड़ा-सा एक्सपोर्ट के ऊपर भी ध्यान दिया है। आज की तारीख में हमारे पास एक्सपोर्ट में लगभग 110 करोड़ रुपये का आर्डर मिला है, एक्सपोर्ट के आर्डर यूरोपियन कंट्रीज से भी आ रहे हैं और साउथ ईस्ट से भी आ रहे हैं।
इस तरह से एन्क्वारीज़ आ रही है, जिससे हमें लगता है कि आने वाले समय में हमें और ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर के एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है।"

समिति के समक्ष पावर प्वायंट प्रस्तुतीकरण के दौरान निम्नलिखित जानकारी भी दी गई:

गोला (शेल) 155 मिमी (110.10 करोड़ रुपये मूल्य) के लिए निर्यात ऑर्डर प्राप्त हुआ है।

vi) **ट्रूप कमफ़र्टस लिमिटेड (टीसीएल)**

सीएमडी, **टी सी एल** ने मौखिक साक्ष्य के दौरान इस विषय के संबंध में यह भी बताया:

"हमारे ऐसे प्रोडक्ट है कि हम एक्सपोर्ट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। हमने बहुत सारे चैनल पार्टनर नियुक्त किए हैं। हमारी नेपाल से बातचीत चल रही है। एल्जीरिया से बातचीत चल रही है। उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं।"

vii) गलाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल)

समिति के समक्ष पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के दौरान जीआईएल के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित जानकारी दी:

क. जीआईएल ने मलेशिया के लिए पहला निर्यात ऑर्डर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

ख. दास और ओईएम, चैनल भागीदारों के साथ निरंतर संपर्क साधा जा रहा है।

ग. वियतनाम, तुर्कमेनिस्तान, अंगोला, मलेशिया, केन्या से प्राप्त रुझानों पर अनुवर्ती कारवाई करना।

अध्याय - दो

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन

समिति इस बात को समझती है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने वर्ष 1958 में अपनी स्थापना के बाद से एक लंबा सफर तय किया है। केवल 10 प्रयोगशालाओं की शुरुआत से, डीआरडीओ बहु-आयामी रूप से विकसित हुआ है और देश भर में फैले 52 प्रयोगशालाओं और प्रतिष्ठानों के विशाल नेटवर्क के साथ एक मुख्य अनुसंधान संगठन के रूप में विकसित हुआ है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ भारत को सशक्त बनाने और हमारी सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रणालियों से सुसज्जित करने के दृष्टिकोण के साथ डीआरडीओ ने वैमानिकी (एयरोनॉटिक्स), शस्त्रीकरण, युद्धक वाहनों, युद्धक अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रक्षेपास्त्र, जीव विज्ञान, मैटेरियल और नौसैनिक प्रणालियों जैसे विभिन्न विषयों में अत्याधुनिक रणनीतिक और सामरिक सैन्य हार्डवेयर और संबंधित प्रौद्योगिकियों का उत्पादन करने के लिए अपनी क्षमता साबित की है। डीआरडीओ की इस प्रौद्योगिकीय ताकत के मूल में पिछले पांच दशकों में निर्मित सिस्टम डिजाइन, सिस्टम इंटीग्रेशन, परीक्षण और मूल्यांकन और परियोजना प्रबंधन में इसकी विशेषज्ञता है, जिसने इसे हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों में स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने में सक्षम बनाया है। डीआरडीओ राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा वास्तुकला-परीक्षण क्षमताओं, सुरक्षा समाधानों, परीक्षण हार्डवेयर, स्वदेशी एनडब्ल्यू सिस्टम, रक्षा उपकरण, सपोर्ट ऑपरेशन की सहायता करने के लिए रक्षा नीति के समर्थन में रक्षा मंत्रालय को हथियारों के पहलुओं पर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय परामर्श प्रदान करने और प्लेटफार्मों की निगरानी करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगठन सरकार को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों और वर्तमान और संभावित दोनों विरोधियों की सैन्य क्षमताओं का तकनीकी आकलन करने की भी परामर्श देता है।

<u>बजटीय प्रावधान</u>

2.2 वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के अनुमानों और आबंटनों के साथ-साथ पिछले पांच वर्षों के लिए विभिन्न बजटीय चरणों में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग (आर एंड डी) के लिए बजट अनुमान, बजट आवंटन का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	**ब.अ. प्रस्तावित**	**ब.अ. अनुमोदित**	**सं. अ. अनुमोदित**	**एम ए अनुमोदित**
2019-20	22953.95	19021.02	17730.78	17730.78
2020-21	23457.40	19327.35	16466.29	16145.74
2021-22	23460.00	20457.44	18337.44	18720.44
2022-23	22990.00	21330.20	21130.20 (अंगीकृत)	-
2023-24	23790.00	23263.89 (अंगीकृत)	-	-

डीआरडीओ का बजट रक्षा बजट का लगभग 5-6% रहा है। इसमें से एक बड़ी राशि रणनीतिक योजनाओं और सीसीएस परियोजनाओं/ कार्यक्रमों, वेतन और भत्ते और अन्य गैर-वेतन राजस्व व्यय के लिए खर्च करती है, जिनमें से प्रत्येक अनिवार्य रूप से हर वर्ष बढ़ता रहता है। प्रयोगशालाओं को महत्वपूर्ण, उन्नत और भविष्य की प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों सम्बन्धी परियोजनाएं शुरू करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं जो भारतीय उद्योग नहीं कर सकते हैं। डीआरडीओ ने उद्योग द्वारा विकास के लिए 108 विशेष प्रणालियों की पहचान की है जिन्हें डीआरडीओ द्वारा शुरू नहीं किया जाएगा। इससे कतिपय प्रौद्योगिकियों के विकास पर खर्च में काफी कमी आएगी। डीआरडीओ भविष्य में बड़े हथियार प्रणालियों, प्लेटफार्मों और सेंसरों के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए परियोजनाओं/कार्यक्रमों को शुरू करने की परिकल्पना करता है।

<u>अनुसंधान और विकास पर व्यय</u>

2.3 वर्ष 2022 के लिए बजट घोषणा के दौरान यह घोषणा की गई है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास को उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा क्षेत्र के लिए खोला जाएगा, जिसमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास को इस उद्देश्य के लिए नियत रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के 25% हिस्से के साथ खोला गया है और उद्योग, स्टार्ट-अप और शिक्षाविदों के लिए पर्याप्त वित्त पोषण किया जा रहा है। यह विभिन्न मौजूदा योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है और नई योजनाओं को भी प्रस्तावित और अनुमोदित किया गया है। इससे डीआरडीओ की चालू और भविष्य की परियोजनाओं के बजट

में समान घाटा होगा। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए बजट वृद्धि की समान राशि की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यकलाप डीआरडीओ की परिकल्पना के अनुसार जारी रहे।

2.4 अनुदानों की मांगों (2023-24) की जांच के दौरान, डीआरडीओ के एक प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:

"सर, बजट पर हम आएंगे तो वर्ष 2022-23 का बजट हमारा लगभग 21 हज़ार करोड़ रुपये रहा है जो कि डिफेंस बजट का 5.53 पर्सेंटेज है। वर्ष 2023-24 में बजट जो हमने मांगा है, वह है 23,260 करोड़ रुपये के आस-पास है।

सर, ये हमारे पिछले पाँच सालों के बजट के आंकड़े हैं। इस वर्ष हमें जो प्रदान किया गया है, वह रक्षा बजट का 5.1 प्रतिशत है। पिछले बजट में यह घोषणा की गयी थी कि हम अपने 25 प्रतिशत डिफेंस आर. एण्ड डी. बजट, इंडस्ट्रीज और एकैडेमिया के लिए खोलेंगे तो हमारे आर. एण्ड डी. बजट की कुल वैल्यू लगभग 5,000 करोड़ रुपये है तो उसमें से 1,300 करोड़ रुपये हमने इंडस्ट्री और एकैडेमिया के यूज के लिए मार्क किया है, जिसमें से इस साल के बजट में अब तक हम लगभग 750 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं।"

2.5 मंत्रालय से पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष समग्र सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अनुसंधान और विकास पर व्यय की प्रतिशतता के बारे में ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया और यह प्रतिशतता विकसित देशों की तुलना में की प्रकार है, मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी प्रदान की:

i. "2017-18 से सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सम्बन्धी अंतिम आवंटन निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	कुल सकल घरेलू उत्पाद	डी डी अ. वि. व्यय	कुल जीडीपी का डी डी अ. वि. व्यय % में
2017-18	17090042.00	15203.04	0.088
2018-19 (दूसरा सं.अ.)	18886957.00	17049.01	0.090
2019-20 (पहला सं.अ.)	20351013.00	17375.13	0.085

2020-21 (पहला पी.ई.)	19745670.00	15706.98	0.079
2021-22 (पहला ए.ई.)	23214703.00	18290.98	0.078
2022-23	-	21130.20(सं.अ.)	-

डीआरडीओ प्रक्षेपास्त्रों, वैमानिकी (एयरोनॉटिक्स), शस्त्रीकरण और युद्धक अभियांत्रिकी प्रणालियों, नौसैनिक प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणालियों के विकास में शामिल है। चालू वर्ष के दौरान तैयार की जा रही कुछ नई अनुसंधान और विकास परियोजनाएं हैं- उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान, ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू, मानव रहित हवाई वाहन, विस्तारित रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एलसीए के लिए पूर्ण मिशन सिमुलेटर, एयरो इंजन घटकों के लिए उन्नत सामग्री, ब्रिजिंग समाधान, वॉइड सेंसिंग फ्यूज मानव रहित सतह वाहन आदि।

2.6 मंत्रालय से अनुसंधान और विकास के संबंध में तेरहवीं योजना के लिए लक्ष्य और आवंटन का ब्यौरा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया, मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी प्रदान की:

"13वीं रक्षा वर्ष योजना के लिए अनुसंधान और विकास के लिए अनुमान और आवंटन के साथ-साथ इस क्षेत्र के लिए अनुमान और आवंटन निम्नानुसार हैं:

वर्ष	**ब.अ. प्रस्तावित**	**ब. अ. स्वीकृत**
2017-18	19935.60	14818.74
2018-19	22203.74	17861.19
2019-20	22953.95	19021.02
2020-21	23457.40	19327.35
2021-22	23460.00	20457.44
2022-23	22990.00	21330.20
2023-24	23790.00	23263.89

13वीं योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान बीई चरण में रक्षा आवंटन और डी डीआर एंड डी आवंटन का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**रक्षा व्यय**	**ब.अ. चरण में अनुसंधान एवं विकास हेतु आवंटित बजट**	**रक्षा व्यय का प्रतिशत**
2018-19 (ब.अ.)	2,79,305.32	17,861.19	6.39
2019-20 (ब.अ.)	3,05,296.07	19,021.02	6.23
2020-21 (ब.अ.)	3,23,053.00	19,327.35	5.98
2021-22 (ब.अ.)	3,47,088.28	20,457.44	5.89
2022-23 (ब.अ.)	3,85,370.15	21,330.20	5.53
2023-24 (ब.अ.)	4,55,332.64	23,263.89	5.10

2.7 तेरहवीं योजना अवधि के दौरान कुल रक्षा बजट में अनुसंधान और विकास के लिए किए गए आवंटन में गिरावट, यदि कोई हो, के कारणों को प्रस्तुत करने और कम आवंटन के कारण प्रभावित परियोजनाएं, यदि कोई हो, के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:

"तेरहवीं योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल रक्षा बजट में अनुसंधान और विकास पर किए गए आवंटन में कोई कमी नहीं हुई है।"

निजी उद्योगों के साथ डीआरडीओ सहयोग

2.8 प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के संबंध में भारतीय उद्योगों/डीपीएसयू/ओएफबी (अब नवगठित डीपीएसयू) को डीआरडीओ प्रौद्योगिकियों को स्थानांतरित करने के लिए तंत्र और विगत तीन वर्षों के दौरान उद्योगों को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के संबंध में डीआरडीओ की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

"डीआरडीओ ने एक प्रक्रिया निर्धारित की है जिसके द्वारा डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को सैन्य उत्पादों और सिविलियन स्पिन ऑफ उत्पादों दोनों के लिए

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (एलएटीओटी) के लिए लाइसेंसिंग समझौता करके उद्योगों को हस्तांतरित किया जाता है। श्रेणी 'ए' प्रौद्योगिकियां सैन्य अनुप्रयोग, गृह मंत्रालय और सरकारी विभागों के लिए प्रौद्योगिकियों से संबंधित हैं। जबकि श्रेणी 'बी' प्रौद्योगिकियां वाणिज्यिक अनुप्रयोग के लिए प्रौद्योगिकियों से संबंधित हैं।

इन प्रौद्योगिकियों को डीआरडीओ की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है और भारतीय उद्योग डीआरडीओ नीति और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार इन उच्चतम रक्षा प्रौद्योगिकियों को ले सकता है।

उद्योग भागीदारों (विकास सह उत्पादन भागीदारों (डीसीपीपी)/विकास भागीदार (डीपी)/उत्पादन एजेंसी (पीए)) से 'शून्य' टीओटी शुल्क लिया जाता है और भारतीय सशस्त्र बलों और सरकारी विभाग को आपूर्ति के लिए शून्य रॉयल्टी ली जाती है। तथापि, यदि उद्योग भागीदार डीसीपीपी/डीपी/पीए नहीं है, तो श्रेणी 'ए' प्रौद्योगिकियों के टीओटी के लिए उद्योगों से परियोजना लागत/विकास लागत का 5 प्रतिशत टीओटी शुल्क के रूप में लिया जाता है। इसके अलावा, श्रेणी 'बी' प्रौद्योगिकियों के टीओटी यानी दोहरी उपयोग स्पिन ऑफ प्रौद्योगिकियों को निष्पादित करने के लिए, डीआरडीओ ने प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और दोहरे उपयोग के व्यावसायीकरण के लिए गैर-सुरक्षा संवेदनशील प्रौद्योगिकियां निष्पादित की हैं ताकि हमारी तकनीकी प्रगति का लाभ आम आदमी तक पहुंच सके, जिसके लिए मामूली टीओटी शुल्क वसूलकरचार प्रमुख उद्योग मंडलों नामतः एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) के साथ समझौता ज्ञापन किया है। पिछले तीन वर्षों में उद्योगों के साथ 599 एलएटीओटी पर हस्ताक्षर किए गए हैं।"

2.9 अनुदान मांगों 2023-24 की जांच के दौरान डीआरडीओ के साथ निजी उद्योगों के सहयोग के संबंध में, मंत्रालय ने समिति के समक्ष पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत किया:

"सर, यह ये सारे के सारे सिस्म्स डीआरडीओ अकेले नहीं बनाती है। हम ये सारे अपने इंडस्ट्री पार्टनर्स और अकेडमिक इंस्टिट्यूट्स के साथ मिल कर बनाते हैं ताकि हम फोर्सेस की जरूरतों को पूरा कर पाएं।

इंडस्ट्रीज़ के लिए हमने कई ऐसी पॉलिसीज़ और नीतियां बनाई हैं जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। इंडस्ट्री को हम अपना डेवल्पमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर मानते हैं। जब से हम अपने डेवल्पमेंट का काम शुरू करते हैं, इंडस्ट्री हमारे साथ मिल कर वह काम

करती है ताकि वह डिफेंस के एरिया में डिज़ाइन एण्ड डेवल्पमेंट करना सीखे ताकि जब अगला वर्जन जाए तब वह पूर्ण तरह से स्वयं ही काम कर पाए। इससे ट्रांस्फर ऑफ टैक्नोलॉजी के समय में भी बचाव होता है। ट्रांस्फर ऑफ टैक्नोलॉजी के साथ ही हमने अपने सारे पेटेंट्स भी इंडियन इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट खोल दिए हैं और वे डीआरडीओ के किसी भी पेटेंट का प्रयोग किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। सर, हमने जो अपने टेस्ट फेसिलिटीज़ प्रस्तुत किए हैं, वे सारे के सारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए उपलब्ध हैं।"

उन्होंने आगे समिति को निम्नानुसार अवगत कराया:

"......टेस्ट एण्ड ट्रायल्स के लिए स्वतंत्र नोडल एजेंसी के ऊपर भी हमने अपनी टेस्ट सुविधाएं इंडस्ट्रीज के लिए खोल चुके हैं। हमारी वेबसाइट पर ये सभी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक स्वतंत्र निकाय बनाने का कार्य भी प्रगति पर है।"

2.10 सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत प्रदान की गई निधि और निजी उद्योग को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बारे में पूछे जाने पर, डीडीआर एंड डी के सचिव ने समिति को अवगत कराया:

"सर, अभी तक हमने 287 करोड़ रुपये के 68 प्रोजेक्ट्स दिए हैं। कुल 133 प्रोजेक्ट्स हैं। पहले हम एक प्रोजेक्ट में दस करोड़ रुपये तक देते थे, अभी हमने यह बढ़ाकर प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ रुपये भी दे सकते हैं।"

2.11 समिति द्वारा उठाए गए प्रश्न पर कि उत्पाद के विकास की शुरुआत में निजी क्षेत्र से धन की खोज क्यों नहीं की जाती है, डीडीआर एंड डी के सचिव ने समिति को अवगत कराया कि:

"जब हम विज्ञापित करते हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं, तो यह उनकी क्षमता पर आधारित होता है और साथ ही वे हमारे साथ काम करने के लिए कितना शुल्क लेंगे, इसके संदर्भ में वे क्या उद्धृत करते हैं। यदि कोई कहता है कि वह निधि प्रदान करने के इच्छुक हैं, तो हम उन्हें भागीदार के रूप में चुनेंगे। लेकिन फिलहाल, किसी भी निजी क्षेत्र की कंपनी ने आगे आकर यह नहीं कहा है कि वह विकास के लिए निधि प्रदान करने के लिए तैयार हैं। हमारा निजी क्षेत्र विकास के लिए निधि देने में बहुत अनिच्छुक है। अतः, हम यह कहते हैं कि इस तकनीक के मामले में हमें भागीदार की आवश्यकता है। हम उनसे उस तरह का विकास, जैसाकि हम चाहते हैं, के लिए हम बोली आमंत्रित करते हैं। तत्पश्चात हम न्यूनतम बोली का चुनाव करते हैं। पार्टनर का चयन करने के

लिए हम यही प्रक्रिया अपनाते हैं। निस्संदेह, हमारी तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा उनकी कतिपय क्षमता का आकलन किया जाएगा। हमें यह आकलन करना होगा कि क्या उनके पास ऐसी प्रणाली बनाने की क्षमता है।"

2.12 डीआरडीओ द्वारा विकसित उपकरणों के उत्पादन आदेशों से डीआरडीओ द्वारा अर्जित लाभों के मुद्दे पर, डीआरडीओ के सचिव ने निम्नानुसार उत्तर दिया:

"महोदय, हमें तो फायदा ही नहीं होता क्योंकि अंततः इसका प्रयोक्ता भी तो सरकार ही होती है। यदि हम अपने भागीदारों को एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चुनते हैं तो क्या होगा। हम एक विकास-सह-उत्पादन भागीदार या एक उत्पादन एजेंसी के रूप में किसके साथ काम करेंगे, इसकी पहचान करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) करते हैं। यदि वे हमारे भागीदारों के रूप में चुने जाते हैं, तो उनके लिए कोई प्रारंभिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) शुल्क नहीं है। अगर हमारा विकास पूरा होने के बाद और फिर वे हमारी तकनीक लेते हैं, तो एक टीओटी शुल्क है। उस टीओटी शुल्क की गणना बहुत ही पारदर्शी तरीके से की जाती है, जो इस आधार पर की जाती है कि हमने लक्ष्य पूरा करने के लिए कितना पैसा खर्च किया है, परियोजना का पैसा जो हमने खर्च किया है। यह उस परियोजना लागत का पांच प्रतिशत है। किसी के लिए भी ऐसा ही है। हम अपनी तकनीक का विज्ञापन करते हैं कि यह तकनीक उपलब्ध है और फिर हम उत्पादन की मात्रा के बारे में निर्णय लेते हैं जिसकी उम्मीद है कि कितनी कंपनियां इसका उत्पादन कर सकती हैं। हम कहते हैं कि इस उत्पाद के लिए दो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होंगे। जहां ऑर्डर की संख्या बड़ी हो सकती है, हम इसे रुचि रखने वाले पांच, दस लोगों को भी देते हैं।"

2.13 परियोजना की कुल लागत के 5% से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) शुल्क के बारे में पूछने पर सचिव, डीआरडीओ ने निम्नानुसार उत्तर दिया:

"सर, सरकार का विचार था, क्योंकि बायर भी सरकार है। कंपनी फाइनली वह कॉस्ट सरकार पर ही लगाएगी, जब वह बेचेगी।"

2.14 संवेदनशील प्रकृति की चीजों के विकास के लिए हमारे व्यवसायियों पर भरोसा करने के मुद्दे पर, सचिव, डीआरडीओ ने निम्नानुसार उत्तर दिया:

“हम इसे प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। यदि निजी क्षेत्र कोई विकास करने को तैयार है, तो हम उस विकास में नहीं पड़ रहे हैं।”

परियोजनाओं में विलंब

2.15 साक्ष्य के दौरान समिति द्वारा डीआरडीओ की मिशन मोड परियोजनाओं में देरी के संबंध में एक मुद्दा उठाया गया था। समिति को भारत के नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक की रिपोर्ट जिसे 21 दिसंबर 2022 को संसद में पेश किया गया था से यह ज्ञात हुआ कि लगभग 178 परियोजनाओं के लेखे का लेख परीक्षण किया गया। इन 178 परियोजनाओं में से 119 में जो दो-तिहाई है, मूल समय-सीमा का पालन नहीं किया जाता है। 49 मामलों में, अतिरिक्त समय वास्तव में मूल समय सीमा के 100 प्रतिशत से अधिक था और कुल मिलाकर, विलंब 16 प्रतिशत से 500 प्रतिशत के बीच था। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि परियोजनाओं को पूरा करने में समय और लागत में वृद्धि हुई है, एक या एक से अधिक प्रमुख उद्देश्यों और मापदंडों को प्राप्त न करने के बावजूद परियोजनाओं को सफल घोषित करते हुए बंद कर दिया गया और सफल घोषित पहले से बंद परियोजनाओं के अप्राप्त उद्देश्यों को साकार करने के लिए नई परियोजनाएं शुरू कीं गईं।

इस संबंध में, सचिव, डीआरडीओ ने समिति को निम्नानुसार अवगत कराया:

“सर, हर प्रोजेक्ट अलग-अलग स्टेजेज पर हैं, हम आपको लिखित में इसका जवाब दे देंगे।”

<u>आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण</u>

2.16 लड़ाकू विमानों, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (एईडब्लू एंड सी) एयरक्राफ्ट, और एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (एडब्लूएसीएस एयरक्राफ्ट) में आत्मनिर्भरता के मुद्दे पर, डीआरडीओ के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार कहा:

"एईडब्लू एंड सी और एडब्लूएसीएस प्रोग्राम में, हम एयरक्राफ्ट नहीं बनाते हैं। हम एयरलाइंस से विमान लेते हैं। हम उस पर सेंसरस लगाते हैं जिससे विमान निगरानी प्रणाली के रूप में कार्य करने लगता है। इसलिए, यह उड़ता है और 350 किमी से अधिक दूरी से देश की ओर आने वाली वस्तुओं पर नजर रखता है। ए ई डब्लू एंड सी मार्क -I को पहले ही वायुसेना में शामिल किया जा चुका है। ए ई डब्लू एंड सी मार्क -II एक साल पहले शुरू हुआ था और इसे पूरा करने के लिए हमारे पास साठ महीने का पीडीसी है।”

2.17 निकट भविष्य में एलसीए के इंजन के स्वदेशीकरण के प्रस्ताव के बारे में समिति द्वारा उठाए गए प्रश्न पर, सचिव, डीआरडीओ ने समिति को निम्नानुसार अवगत कराया:

"हमने कावेरी इंजन नामक एक इंजन पर काम किया था जिसे कार्यक्रम शुरू होने पर एलसीए में जाना था लेकिन कावेरी का विकास अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंचा। यही कारण है कि एलसीए अब जीई इंजन के साथ उड़ान भर रहा है। अब, एल सी ए कार्यक्रम एक ऐसे बिंदु पर पहुँच गया है जहाँ एल सी ए का सारा निर्माण होगा और स्वदेशी इंजन एल सी ए की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएगा। अब, ए एम एल सी ए कार्यक्रम के लिए, हमें एक बहुत उच्च श्रेणी के इंजन की आवश्यकता है, अर्थात 110 के एन इंजन जिसके लिए प्रौद्योगिकी में और अधिक उन्नति किए जाने की आवश्यकता है। हमारी वर्तमान सोच और सरकार की सोच भी यह है कि हम विदेशी ओईएम के साथ-साथ भारतीय निजी क्षेत्र, डीआरडीओ और एचएएल के साथ संयुक्त विकास मोड में 110 केएन इंजन के इस विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम एक कंसोर्टियम बनाएंगे और इंजन के इस नए वर्ग पर काम करेंगे, जो इसके दूसरे चरण में एएमसीए प्रोग्राम के लिए काम करेगा ।"

<u>परमाणु, जैविक और रासायनिक (एनबीसी)</u>

2.18 वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों की जांच के दौरान, डीआरडीओ के एक प्रतिनिधि ने परमाणु, जैविक और रासायनिक समिति (एनबीसी) के समक्ष पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:

"कैमिकल, बायोलॉजिक, रेडियोलॉजिक एण्ड न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम्स के डिटेक्शन, प्रोटेक्शन एण्ड डीकॉन्टेमिनेशन से रिलेटिड हर प्रकार का रिसर्च एवं डेवल्पमेंट इस संस्थान में किए जाए जा रहे हैं और इसके कई प्रोडक्ट्स सेवाओं में यूज़ भी किए जा रहे हैं।"

2.19 रासायनिक और जैविक हथियारों के भविष्य की धारणाओं और खतरों के बारे में मौखिक साक्ष्य के दौरान उठाए गए प्रश्न पर, सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास ने आगे स्पष्ट किया:

> “महोदय, हमारे पास डीआरडीई ग्वालियर नामक एक प्रयोगशाला है, जो जैविक और रासायनिक युद्ध, जैविक और रासायनिक युद्ध एजेंट के खिलाफ रक्षा पर काम करती है। परमाणु हमले के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए हमारे पास पूर्ण एनबीसी कार्यक्रम भी है। जोधपुर में हमारी एक प्रयोगशाला है जो एनबीसी उत्पादों पर काम करती है। हमारे पास डीएमएसआरडीई कानपुर और डीईबीईएल जैसी अन्य प्रयोगशालाएँ हैं जो एन बी सी उत्पाद भी विकसित करती हैं। इसलिए, हमारे पास जैविक और रासायनिक हथियारों के साथ-साथ परमाणु हथियारों से बचाव के लिए एक कार्यक्रम है।”

अध्याय - तीन

राष्ट्रीय कैडेट कोर

समिति को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की स्थापना एनसीसी अधिनियम, 1948 के तहत की गई थी। एनसीसी का उद्देश्य युवा नागरिकों के बीच चरित्र, कॉमरेडशिप, अनुशासन, एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, साहसिक कार्य की भावना और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों को विकसित करना है। इसके अलावा, इसका उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व गुणों के साथ संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का एक पूल बनाना है, ताकि वे उपयोगी नागरिक बन सकें और अपने द्वारा चुने गए करियर के माध्यम से अपनी पूरी शक्ति के साथ राष्ट्र की सेवा कर सकें। कहने की जरूरत नहीं है कि एनसीसी युवा भारतीयों को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए अनुकूल वातावरण भी प्रदान करता है। एनसीसी का आदर्श वाक्य 'एकता और अनुशासन' है।

3.2 एनसीसी के पास एक दोहरा वित्तपोषण पैटर्न है जहां केंद्र और राज्य सरकारें दोनों एनसीसी गतिविधियों पर होने वाले व्यय को उचित रूप से निर्दिष्ट तरीके से उठाती हैं। राज्य सरकारों द्वारा व्यय को साझा करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उनके पास भी राष्ट्र निर्माण के लिए एनसीसी कैडेटों द्वारा शुरू की गई विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी करने और उनसे जुडने की भावना है। केंद्र सरकार निम्नलिखित मदों पर होने वाले व्यय को वहन करती है:-

(क) सेवाओं और असैन्य कार्मिकों के वेतन और भत्ते
(ख) परिवहन व्यय
(ग) महानिदेशालय, एनसीसी, राज्य एनसीसी निदेशालयों और प्रशिक्षण अकादमियों में कार्यालय आवास और आकस्मिकताओं पर होने वाला व्यय
(घ) उपकरण, वाहनों और कपड़ों पर होने वाला व्यय
(ङ) सभी राज्यों (जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र - सिक्किम को छोड़कर, जहां यह 100% है) में शिविर प्रशिक्षण पर होने वाला 75% व्यय।

राज्य सरकार निम्नलिखित व्यय वहन करती है:

(क) एनसीसी में तैनात राज्य सरकार के असैन्य कार्मिकों के वेतन और भत्ते
(ख) एनसीसी समूह मुख्यालयों और इकाइयों में कार्यालय आवास और आकस्मिकताओं पर होने वाला व्यय
(ग) एनसीसी कैडेटों और संबद्ध एनसीसी अधिकारियों (एएनओ) के भत्ते

(घ) सभी राज्यों (जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र - सिक्किम को छोड़कर) में सांस्थानिक प्रशिक्षण

(ङ) सभी राज्यों (जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम को छोड़कर) में शिविर व्यय का 25% ।

समिति को यह भी पता है कि आज, एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। मुख्यालय, महानिदेशक, एनसीसी के अंतर्गत, 28 राज्यों और 9 संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करने वाले 17 राज्य निदेशालय हैं। इसके अंतर्गत 98 समूह मुख्यालय हैं जिनके अंतर्गत देश में 825 इकाइयां हैं।

आज तक, एनसीसी के अंतर्गत **20,390** शैक्षिक संस्थानों को शामिल कर लिया गया है। जनवरी 2023 तक एनसीसी में नामांकित कैडेटों की कुल संख्या 13,00,744 है।

<u>बजट</u>

3.3 समिति ने पाया है कि मंत्रालय द्वारा राजस्व और पूंजी शीर्ष में एनसीसी को किए गए आवंटन और 2023-24 सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए व्यय के संबंध में विवरण निम्नानुसार है:

<u>राजस्व शीर्ष</u>

(करोड़ रू. में)(सकल आकड़े)

वर्ष	बजट अनुमान	बजट आवंटन	वास्तविक व्यय
2018-19	1,871.92	1,561.81	1,415.36
2019-20	1,859.03	1,607.28	1,551.59
2020-21	1,968.20	1,661.50	1,503.85
2021-22	2,385.81	1,635.76	1,679.15
2022-23	2,424.75	1,956.43	1,451.12*
2023-24	2,763.12	2,763.12	-

<u>पूंजी शीर्ष</u>

(करोड़ रू. में)

वर्ष	बजट अनुमान	बजट आवंटन	वास्तविक व्यय
2018-19	38.50	22.40	20.39
2019-20	80.93	24.64	44.28
2020-21	55.00	27.10	8.21
2021-22	15.00	15.00	6.48
2022-23	13.00	13.00	3.36*
2023-24	13.00	13.00	-

<u>राजस्व + पूंजी शीर्ष</u>

(करोड़ रू. में)

वर्ष	बजट अनुमान	बजट आवंटन	वास्तविक व्यय
2018-19	1,910.42	1,584.21	1,435.75
2019-20	1,939.96	1,631.92	1,595.87
2020-21	2,023.20	1,688.60	1,512.06
2021-22	2,400.81	1,650.76	1,685.63
2022-23	2,437.75	1,969.43	1,454.48*
2023-24	2,776.12	2,776.12	-

* वित्त वर्ष 2022-23 के संबंध में व्यय के आंकड़े दिसंबर, 2022 तक के हैं।

मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति ने यह पूछा कि क्या एनसीसी चालू वर्ष में इस बजट का पूरा उपयोग कर सकती है। उत्तर में, डीजी, एनसीसी ने निम्नानुसार बताया:

> "जहां तक बजट का कंसर्न है, इस बार इसमें हमारी मेजर बढ़ोत्तरी हुई है। यह नहीं है कि हम जितना खर्च कर पाएंगे, बल्कि जितनी हमारी जरूरत थी, हमने उस प्रकार से मांगा है। आंकड़े काफी बढ़ गए हैं ।"

<u>अवसंरचना की कमी</u>

3.4 डीएफजी 2023-24 पर विचार-विमर्श के दौरान, समिति ने प्रशिक्षण पहलू और प्रशिक्षण शिविरों के बुनियादी ढांचे के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण का मुद्दा उठाया। इस संबंध में एनसीसी के महानिदेशक ने निम्नानुसार बताया:

“सर, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो जिम्मेवारी है, वह रिस्पेक्टिव स्टेट की है। उसका जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आपने फायरिंग के बारे में बताया। उसमें हथियार व एमुनिशन हमारी होती है और रेंज स्टेट का होता है। तो, यही कारण है”

……. ट्रेनिंग कराना मेरी जिम्मेवारी है। उसमें कोई औपचारिकता नहीं होगी। एनसीसी की ट्रेनिंग अव्वल दर्जे की होगी। इसे मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं। उसमें हमें बिल्कुल ढीलापन नहीं होने देंगे। वह हमारा मेन मकसद है। कैडेट्स के अंदर भी पूरा जोश है। उसमें हम और कैसे सुधार कर सकें, आपने हमें जो प्वाइंट दिया है, उस पर हम विचार करेंगे।”

<u>एनसीसी कैडेटों के प्रशिक्षण के लिए प्रतीक्षा सूची वाले संस्थान और प्रशिक्षक</u>

3.5 प्रतीक्षा सूची वाले संस्थानों और एनसीसी के विस्तार के मुद्दे पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

“पिछले तीन वर्षों से देश में एनसीसी के आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे संस्थानों की संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	सरकारी	निजी	कुल
2021	5427	3820	9247
2022	5181	4000	9181
2023	5522	4273	9795

और अधिक संस्थाओं को एनसीसी उपलब्ध कराने के लिए, एनसीसी ने सीमातटीय क्षेत्रों में 1 लाख कैडेट विस्तार योजना शुरू की है। इसके अलावा, पूर्ण रूप से स्वयं वित्तपोषण स्कीम (एफएसएफएस) अंतर्गत, सीनियर डिवीजन/सीनियर विंग (एसडी/एस डब्ल्यू) और जूनियर डिवीजन/जूनियर विंग (जेडी/जेडब्ल्यू) एनसीसी के लिए संस्थाओं में प्रत्येक के लिए एक लाख कैडेट (कुल दो लाख कैडेट) आबंटन किया है। सीमा तटीय स्कीम के अंतर्गत, एनसीसी के आवंटन के लिए 1283 संस्थाओं की पहचान की गई है और 86,100 कैडेटों का नामांकन किया गया है। एफएसएफएस एसडी/एसडब्ल्यू स्कीम के अंतर्गत 65,337 कैडेटों और एफएसएफएस जेडी/जेडब्ल्यू के तहत 37,242 कैडेटों का नामांकन किया गया है।”

3.6 अनुदानों की मांग 2023-24 की जाँच के दौरान एनसीसी ने समिति के समक्ष पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से एनसीसी कैडेटों के प्रशिक्षण के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दी।:

"......एनसीसी की ऑर्गनाइज़ेशन हेडक्वार्टर डीजी, एनसीसी और उसके बाद राज्यों के अंदर हमारे डायरेक्टोरेट्स हैं। ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं और यूनिट्स हैं। हमारी 825 यूनिट्स हैं। पैन इंडिया एनसीसी का प्रेज़ेंस है। हरेक यूनिट तकरीबन 3500 कैडेट्स को ट्रेन करती है। हमारी एनसीसी की प्रेज़ेंस मिलिट्री स्टेशंस और नॉन मिलिट्री स्टेशंस के अंदर भी है। 20390 संस्थानों के अंदर अभी हम एनसीसी की ट्रेनिंग करते हैं। इसके सिवाय हमारे दो एनसीसी के ट्रेनिंग एकेडमीज़ - एक काम्प्टी में और दूसरी ग्वालियर में है, जहां पर हम अपने इंस्ट्रक्टर्स की ट्रेनिंग करते हैं।

सर, हमारी जो ट्रेनिंग की जाती है, उसका सारांश इस स्लाइड में है। इंस्टिट्यूशनल ट्रेनिंग जो की स्कूल्स और कॉलेजिस में दी जाती है। हर कैडेट को 100 पर्सेंट वह ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती है। कैंप ट्रेनिंग 60 पर्सेंट कैडेट्स अटेंड करते हैं। ए सर्टिफिकेट के लिए उसको एक कैंप अटेंड करना है और सी सर्टिफिकेट के लिए तीन साल के लिए उसको दो कैंप अटेंड करने हैं। ये ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर दी जाती हैं। तकरीबन 60 पर्सेंट स्ट्रेंथ को हर साल हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। उसके साथ में अटैचमेंट ट्रेनिंग है। फौज के अंगों के साथ या कहीं अस्पतालों के साथ जहां एडवांस ट्रेनिंग के लिए हम उनको ले जाते हैं। ट्रेन द ट्रेनर, जैसे कि एनसीसी के जो ट्रेनर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग और एडवेंचर और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग भी दी जाती है। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर एनसीसी इक्वलेंट के कैडेट्स बाहर के देशों से हमारे पास आते हैं और हमारे कैडेट्स भी बाहर जाते हैं और कम्युनिटी और सोशल सर्विस एनसीसीस का एक मेन कार्यक्रम है। मै आगे चल कर इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा।"

3.7 साक्ष्य के दौरान, समिति ने यह जानना चाहा कि क्या प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च को वेतन और भत्तों के साथ मिला दिया जाना चाहिए, क्योंकि एनसीसी प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए कुछ प्रशिक्षकों को भुगतान कर रहा है और प्रशिक्षण के लिए बजट आवंटन बहुत कम है। इस संबंध में एनसीसी के महानिदेशक ने निम्नानुसार बताया:

"अगर आप सैलरी को देखें और अगर आप यह सोचें कि यह सैलरी, ट्रेनिंग से डिटैच है तो वह ठीक पिक्चर नहीं होगी। जो ट्रेनर्स की सैलरी है, वही ट्रेनर्स तो उसी सैलरी से ट्रेन कर रहा है। एनसीसी के हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं या इंस्ट्रक्टर्स स्टाफ्स हैं, उनकी सैलरी है। उसी से वे ट्रेनिंग दे रहे हैं।

जो ट्रेनिंग वाला बजट है, यह केवल कैंपो के लिए है या फिर ट्रेनिंग से संबंधित कैडेट्स की एक्टीविटीज़ के लिए है। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि यह सैलरी बजट भी वास्तव में ट्रेनिंग का काम कर रहा है।"

3.8 साइबर अपराध से निपटने, कंप्यूटर अनुप्रयोगों में क्षमताओं को बढ़ाने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष विशेषज्ञता आदि के लिए एनसीसी कैडेटों के प्रशिक्षण/उपयोग के संबंध में समिति के एक विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में एनसीसी के महानिदेशक ने निम्नानुसार साक्ष्य दिया:

"... हमने इसके अन्दर जो आई.टी. का प्रावधान किया है, यह केवल हमारे कामकाज के लिए आईटी आवश्यकता से संबंधित है। यह आई.टी. ट्रेनिंग देने के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप हमारे एनसीसी के मकसद और लक्ष्य को देखें तो हम उसी हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं। हमारा जो ट्रेनिंग सिलेबस है, हम उसके अनुसार ट्रेनिंग देते हैं। आपने जो हाई-नीश ट्रेनिंग के बारे में कहा है, वह आम तौर पर इंस्टीट्यूशन्स, स्कूल्स, कॉलेजेज दे रहे हैं।"

विचार-विमर्श के दौरान कि समिति एनसीसी कैडेटों के प्रशिक्षण की भावी आवश्यकता के संबंध में जानना चाहती थी, एनसीसी, महानिदेशक ने बताया:

"सर, इन्होंने जो 13 करोड़ रुपये मांगा है, उसमें माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट्स इन्क्लूडेड हैं। ये प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए हैं। मुझे लगता है कि यह उन चीजों में से एक है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। इसके अलावा, ट्रेनिंग के सिम्युलेटर्स भी इसमें इन्क्लूडेड होते हैं ।"

3.9 एनसीसी कैडेटों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों को और दक्ष बनाने के लिए एनसीसी कैडेटों के प्रशिक्षण में पूर्व एनसीसी कैडेटों की मदद लेने के संबंध में समिति के एक विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में, एनसीसी, महानिदेशक ने निम्नानुसार बताया:

"महोदया, हम कैडेटों को प्रशिक्षित करने के लिए पहले से ही पूर्व एनसीसी कैडेटों की सहायता ले रहे हैं। एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जा रहा है।"

सशस्त्र सेनाओं में एनसीसी कैडेटों की कम चयन दर

3.10 पिछले पांच वर्षों के दौरान एसएसबी के माध्यम से एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र धारकों की सीधी प्रविष्टि पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तरों में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:

“आरक्षित रिक्तियों के समक्ष विगत पांच वर्षों के दौरान एनसीसी 'सी' प्रमाण-पत्र धारक जिन्होंने एसएसबी सीधी भर्ती के जरिए आवेदन किया था, उनमें से चयनित कैडेटों के ब्यौरे निम्नवत हैं:-

क्र.सं.	**वर्ष**	**रिक्तियां**	**चयनित**	**रिक्तियों का प्रतिशत उपयोग**
1	2018	177	77	44.00%
2	2019	178	87	49.00%
3	2020	178	78	44.00%
4	2021	178	108	61.00%
5	2022	178	123	69.00%
	कुल	**889**	**473**	**53.00%**

प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में एसएसबी में उत्तीर्ण होने वाले एनसीसी अभ्यर्थियों का प्रतिशत संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सीडीएसई) अभ्यर्थियों के अनुपात में है।”

एनसीसी कैडेटों के लिए उपलब्ध नौकरी के अवसर

3.11 एनसीसी कैडेटों के लिए सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया:

एनसीसी कैडेटों के लिए उपलब्ध अवसर निम्नानुसार हैं।

एनसीसी के 'सी प्रमाण-पत्र धारक कैडेटों को सशस्त्र सेनाओं एवं अन्य में लाभ'

शाखा	**अकादमी**	**रिक्तियाँ**	**टिप्पणी**
अधिकारी भर्ती			
सेना एनसीसी विशेष भर्ती (पुरूष) **(अल्प सेवा कमीशन)**	ओटीए चेन्नई अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी	प्रति बैच 45	प्रतिवर्ष दो बैचों की भर्ती की जाती है। एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को यूपीएससी लिखित परीक्षा से छूट प्राप्त है। वे एसएसबी में सीधे उपस्थित हो सकते हैं। प्रत्येक बैच में एनसीसी

			सर्टिफिकेट धारकों के लिए 45 सीट आरक्षित हैं।
सेना एनसीसी विशेष भर्ती (महिलाएं) **(अल्प सेवा कमीशन)**	ओटीए चेन्नई अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी	प्रति बैच 04	प्रतिवर्ष दो बैचों की भर्ती की जाती है। एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को यूपीएससी लिखित परीक्षा से छूट प्राप्त है। वे एसएसबी में सीधे उपस्थित हो सकते हैं। प्रत्येक बैच में एनसीसी सर्टिफिकेट 'सी' धारकों के लिए 04 सीट आरक्षित हैं।
सेना नियमित भर्ती एनसीसी 'सी' सर्टिफिकेट धारक	आईएमए देहरादून	प्रति बैच 13	प्रत्येक वर्ष 2 बैचों की भर्ती की जाती है। प्रत्येक बैच में एनसीसी सर्टिफिकेट 'सी' धारकों के लिए 13 सीट आरक्षित हैं। यूपीएससी लिखित और एसएसबी के माध्यम से चयनित किया जाता है।
नौसेना (स्थायी कमीशन)	नौसेना अकादमी, एझीमाला	प्रति बैच 06	प्रत्येक वर्ष दो बैचो की भर्ती की जाती है। एनसीसी 'सी' सर्टिफिकेट धारकों का यूपीएससी लिखित परीक्षा से छूट प्राप्त है। वे एसएसबी में सीधे उपस्थित हो सकते हैं। उनके लिए प्रत्येक बैच में 06 सीटे रखी जाती हैं।
वायु सेना (पुरूष एवं महिलाओं के लिए	वायु सेना अकादमी,	सीडीएसई और	दो बैचों की भर्ती प्रत्येक वर्ष की जाती है। प्रत्येक

एनसीसी विशेष भर्ती)	हैदराबाद	एएफकैट की रिक्तियों का 10%	बैच (लगभग 25) में एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों के लिए 10% रिक्ति चिन्हित हैं। उन्हें वायुसेना कॉमन एडमिशन टेस्ट (एएफसीओटी) परीक्षा से छूट प्राप्त है। केवल एसएसबी में उत्तीर्ण होना है।
वायु सेना (स्थायी कमीशन)	वायु सेना अकादमी, हैदराबाद	प्रति बैच 03	प्रत्येक वर्ष दो बैचों की भर्ती की जाती है। एनसीसी 'सी' सर्टिफिकेट धारको के लिए 03 रिक्तियां आरक्षित है। यूपीएससी लिखित और एसएसबी के माध्यम से चयनित किया जाता है।
सैन्य नर्सिंग सेवा (एमएनएस)	सैन्य नर्सिंग सेवा	25	क) महिला अभ्यर्थी के लिए ख) वर्ष 2021 से एनसीसी 'सी' सर्टिफिकेट धारकों के लिए कुल 220 में से 25 सीटें आरक्षित थीं।
अन्य रैंक			
सैनिक (साधारण ड्यूटी) श्रेणी	एनसीसी सी सर्टिफिकेट		सीईई से छूट प्राप्त
	एनसीसी सी सर्टिफिकेट और आरडी में भाग लिया		सीईई से छूट प्राप्त
	परेड		
	एनसीसी बी सर्टिफिकेट		बोनस अंक -10

	एनसीसी ए सर्टिफिकेट		बोनस अंक -05
सैनिक क्लर्क/एसकेटी/तकनीकी/ एनए/एनए(वीईटी)	एनसीसी सी सर्टिफिकेट		बोनस अंक -15
	एनसीसी सी सर्टिफिकेट और आरडी में भाग लिया परेड		सीईई से छूट प्राप्त
	एनसीसी बी सर्टिफिकेट		बोनस अंक-10
	एनसीसी ए सर्टिफिकेट		बोनस अंक-05
ट्रेडमैन श्रेणी	एनसीसी सी सर्टिफिकेट		सीईई से छूट प्राप्त
	एनसीसी सी सर्टिफिकेट और आरडी परेड में भाग लिया		सीईई से छूट प्राप्त
	एनसीसी बी सर्टिफिकेट		बोनस अंक-10
	एनसीसी ए सर्टिफिकेट		बोनस अंक-05
नाविक/वायुसैनिक	एनसीसी ए,बी और सी सर्टिफिकेट		बोनस अंक-2 से 6 अतिरिक्त क्रेडिट प्वाइंट के रूप में
सीएपीएफ और असम राइफल सब इन्सपेक्टर और कान्सटेबल-एमएचए पत्र दिनांक 20 अप्रैल 2020	एनसीसी सी सर्टिफिकेट		बोनस अंक - परीक्षा के अधिकतम अंक का 5%
	एनसीसी बी सर्टिफिकेट		बोनस अंक- परीक्षा के अधिकतम अंक का 3%
	एनसीसी ए सर्टिफिकेट		बोनस अंक- परीक्षा के अधिकतम अंक का 2%
अन्य			
भारतीय समुद्रवर्ती विश्वविद्यालय	एनसीसी सी		बोनस अंक - परीक्षा के

(आईएमयू)-पोत, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय पत्र दिनांक 15 जून 2021 में यूजी और पीजी पाठ्यक्रम	सर्टिफिकेट		अधिकतम अंक का 5%
	एनसीसी बी सर्टिफिकेट		बोनस अंक- परीक्षा के अधिकतम अंक का 3%
	एनसीसी ए सर्टिफिकेट		बोनस अंक- परीक्षा के अधिकतम अंक का 2%

इस मुद्दे पर और स्पष्टीकरण देते हुए, डीजी, एनसीसी ने मौखिक साक्ष्य के दौरान बताया:

"सर, पैरा मिलिट्री फोर्स में भर्ती के लिए एनसीसी की वेटेज है। कितनी-कितनी वेटेज है, किसी-किसी स्टेट के अंदर भी है। हम पूरी डिटेल्स आपको दे देंगे।"

सिफारिशें/ टिप्पणियां

आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू

बजट

समिति ने नोट किया कि ओएफबी के निगमीकरण के परिणामस्वरूप, 1.10.2021 से रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के तहत आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) का गठन किया गया है। समिति पिछले वर्षों के बजट अनुदानों से नोट करती है और पाती है कि 2022-23 में, यानी ओएफबी के निगमीकरण के बाद, आयुध निदेशालय को संशोधित अनुमान चरण(आरई) में 4212.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी जिसमें से दिसंबर, 2022 तक 2845.71 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। इसका मतलब है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1366.29 करोड़ रुपये की राशि अप्रयुक्त रह गई। इस बीच, आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए 1310 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है। मौखिक साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने यह भी अवगत कराया कि आरई 2020-21 और आरई 2021-22 में आपातकालीन प्राधिकरण निधि के रूप में 2,500 करोड़ रुपये रखे गए हैं। समिति चाहती है कि आवंटित की जा रही राशि को अर्जित देनदारियों और नव सृजित डीपीएसयू की आधुनिकीकरण योजना पर विवेकपूर्ण ढंग से वितरित किया जाना चाहिए। इस संबंध में, समिति को की-गई-कार्रवाई के उत्तर प्रस्तुत करते समय संशोधित आवंटन (एमए) के बारे में सूचित किया जाए।

आधुनिकीकरण के लिए बजट

2. मौखिक साक्ष्य के दौरान, नए डीपीएसयू के प्रतिनिधियों ने समिति को समकालीन विनिर्माण प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल रखने और उनके तहत विनिर्माण इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों जैसे उच्च मूल्य/भारी शुल्क संयंत्र और मशीनरी (पी एंड एम) का निर्माण करना, पुनर्संरचना और अधिग्रहण, बुनियादी ढांचे का निर्माण/विकास आदि के बारे में अवगत कराया। नए डीपीएसयू के आधुनिकीकरण के लिए दिए गए बजट का अध्ययन करते हुए समिति ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इन डीपीएसयू को 1643 करोड़ रुपये दिए गए। अगले वित्त वर्ष 2022-23 में डीपीएसयू को आधुनिकीकरण के लिए 1310 करोड़ रुपये दिए गए। इतनी ही राशि चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भी दी जाती है। यदि मुद्रास्फीति को भी ध्यान में रखा जाए तो समिति आंकड़ों से सहमत है कि आधुनिकीकरण बजट में गिरावट आ रही है। यह सर्वविदित तथ्य है कि सरकारी क्षेत्र के स्वतंत्र उपक्रम बनने से पहले ये आयुध कारखाने काफी हद तक केवल सरकारी आदेशों/आपूर्ति पर निर्भर थे। इसलिए,

प्रारम्भिक वर्षों में, यह रक्षा मंत्रालय का कर्तव्य है कि वह इन इकाइयों को तब तक सहायता दे जब तक कि वे आत्मनिर्भर नहीं हो जाते। समिति चाहती है कि उनकी भावनाओं से मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) को भी अवगत कराया जाए ताकि समूह आधुनिकीकरण योजनाओं को शुरू करने के लिए डीपीएसयू को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ा सके।

3. नवगठित सात डीपीएसयू की उत्पादन इकाइयों में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के दौरे के दौरान समिति ने यह भी पाया कि इन निधियों के उपयोग के लिए इन नए सात डीपीएसयू के बोर्डों को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन की आवश्यकता है ताकि आधुनिकीकरण के प्रयासों को सार्थक तरीके से आगे बढ़ाया जाए।

<u>आदेश पंजिका(ऑर्डर बुक) की स्थिति</u>

4. अगले पांच वर्षों के लिए नवसृजित डीपीएसयू के लिए ऑर्डर बुक की स्थिति पर रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी से यह ज्ञात हुआ कि एडब्ल्यूईआईएल, टीसीएल और आईओएल में ऑर्डर बुक की स्थिति में भारी गिरावट आई है। 2026-2028 के लिए टीसीएल में 'शून्य' ऑर्डर बुक स्थिति पंजीकृत है। इस अवधि के दौरान एमआईएल की भी यही स्थिति है। जीआईएल के पास भी 2027-28 के लिए 'शून्य' ऑर्डर हैं। वाईआईएल मुख्य रूप से अन्य नए डीपीएसयू को उत्पादों/कच्चे माल/अवयवों की आंतरायिक आपूर्ति के लिए है। अन्य नए डीपीएसयू के साथ संविदाएं आवश्यकतानुसार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर पूरी की जा रही हैं। हालांकि, इस मामले में, सेवाओं के साथ अगले 05 वर्षों के लिए ऑर्डर बुक स्थिति उपलब्ध नहीं है।

5. वाईआईएल के मामले में, जिसने 2024-25 से कोई आदेश पंजीकृत नहीं किया, समिति के मौखिक साक्ष्य के दौरान, वाईआईएल के सीएमडी ने आगे बताया कि चूंकि यह पीएसयू सेवाओं को आपूर्ति नहीं करता है, इसलिए, इसे कोई मानित संविदा नहीं दी गई। पीएसयू की शुरुआत नए सिरे से होने के साथ ही इस मामले में कच्चे माल के कारण उसे पिछले साल 523 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। हालांकि, उज्ज्वल पक्ष यह है कि यह नुकसान कम होने वाले मोड में है।

6. समिति समझती है कि नए डीपीएसयू भारतीय रक्षा बलों विशेष रूप से सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के विशेष उद्देश्य के लिए डिजाइन और समर्पित हैं और यह भी कि ये डीपीएसयू युद्ध के परिदृश्य के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि रक्षा उत्पादन विभाग को रक्षा अताशे या राजदूतों/उच्चायुक्तों के माध्यम से देश के बाहर इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बढ़ावा देना शुरू करना चाहिए ताकि समय-समय पर घरेलू मांग के अलावा पर्याप्त निर्यात आदेश सुनिश्चित किए जाए ताकि नए डीपीएसयू के विनिर्माण कौशल को बनाए रखा जाए और उनकी क्षमता का पूरा उपयोग किया जाए।

7. समिति ने नोट किया है कि निगमीकरण से पहले पूर्ववर्ती ओएफबी पर रखे गए मांगपत्रों छुट दिए गए एक भाग के रूप में सेवाओं द्वारा निर्गम मूल्यों में 6% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक वृद्धि के साथ नए डीपीएसयू पर मानित संविदाएं रखी गई हैं। तथापि, इन नए डीपीएसयू के साथ हस्ताक्षरित मानित संविदाओं में लाभ के अवयव के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, समिति चाहती है कि दीर्घकालिक सतत विकास और इन नई संस्थाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, एक उचित लाभ तत्व को शामिल करना वांछनीय है, जो समिति का स्पष्ट विचार है कि मानित संविदाओं में लगभग 7% होना चाहिए क्योंकि यह पहले से मौजूद नौ डीपीएसयू को पहले से ही उपलब्ध कराया जा रहा है।

<u>अनुसंधान और विकास व्यय</u>

8. समिति ने नोट किया है कि नए डीपीएसयू के तहत विनिर्माण इकाइयां आयुध, गोला-बारूद और उपकरणों के डिजाइन, विकास और उत्पाद उन्नयन के लिए आंतरिक अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) परियोजनाएं शुरू करती हैं। डीपीएसयू में आयुध विकास केन्द्र (ओडीसी) अनुसंधान एवं विकास करने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। ये इकाइयां शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी स्वामित्व वाली प्रयोगशालाओं और अन्य स्वदेशी निजी निर्माताओं के सहयोग से सहयोगी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं भी लेती हैं। विकसित किए जा रहे प्रमुख उत्पाद हैं: गोला-बारूद टर्मिनल निर्देशित गोला बारूद की ड्रोन-सहायता प्राप्त डिलीवरी, निर्देशित बम, 70 मिमी रॉकेट, टैंक टी-90 के लिए परमाणु विकिरण सह रासायनिक युद्ध एजेंट संसूचक का स्वदेशीकरण, टी-90 भीष्म टैंक के लिए स्वचालित गियर शिफ्टर का विकास, तोपखाने के गोला-बारूद के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट विस्फोट (पीडी मोड) फ्यूज का विकास/उत्पादन, पैराशूट सामरिक हमला गजताज-2 प्रणाली (पीटीए जी-2), एरिया डिनायल म्यूनिशंस(डीपीआईसीएम पिनाका), सैन्य युद्ध पैराशूट प्रणाली (एमसीपीएस) आदि। मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से, समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सभी नए डीपीएसयू के अनुसंधान एवं विकास व्यय में 2021-22 से वर्ष 2022-23 तक वृद्धि हुई है। समिति ने सिफारिश की है कि इस प्रवृत्ति को भविष्य में भी जारी रखा जाना चाहिए और डीपीएसयू द्वारा आंतरिक रूप से विकसित डिजाइन और प्रोटोटाइप के लिए पेटेंट अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। यह नए डीपीएसयू के मूल्य को बढ़ाने में फायदेमंद होगा और देश के लिए राजस्व सृजन को भी बढ़ावा देगा।

<u>स्वदेशीकरण</u>

9. समिति को यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि नए डीपीएसयू का स्वदेशीकरण प्रतिशत ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड के मामले में 100 प्रतिशत से लेकर एडवांस्ड वेपन्स

एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के मामले में 94 प्रतिशत तक है। म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड में भी 95 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री है। आईओएल ने आयात प्रतिस्थापित उत्पाद भी विकसित किए हैं और यह 100 प्रतिशत स्वदेशीकरण की प्रक्रिया में है। मौखिक साक्ष्य के दौरान भी समिति को स्वदेशीकरण प्राप्त करने के लिए डीपीएसयू द्वारा की गई पहलों के बारे में सूचित किया गया था।

10. समिति आशा करती है कि निकट भविष्य में शत-प्रतिशत स्वदेशीकरण के लिए डीपीएसयू के गहन प्रयासों से देश को गौरवान्वित किया जा सकेगा। इस संबंध में, समिति चाहती है कि मंत्रालय को उनके वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए।

<u>निर्यात</u>

11. समिति ने दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद नोट किया कि नए डीपीएसयू द्वारा निर्यात वर्ष-दर-वर्ष घट रहा है। वर्ष 2019-20 के दौरान निर्यात का मूल्य 140.94 करोड़ रुपये था, यह वर्ष 2020-21 के दौरान घटकर 94.61 करोड़ रुपये रह गया और वर्ष 2021-22 में निर्यात केवल 81.08 करोड़ रुपये रहा। अनुदानो की मांगों 2023-24 पर विचार-विमर्श के दौरान, इन डीपीएसयू के प्रतिनिधियों ने डीपीएसयू द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में भी समिति को अवगत कराया। समिति समझती है कि मुख्य रूप से डीपीएसयू भारतीय सशस्त्र सेनाओं को हथियारों और गोला-बारूद की आपूर्ति करते हैं, लेकिन निर्यात देश को न केवल प्रसिद्धि देता है बल्कि कीमती विदेशी मुद्रा भी देता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि निर्यात बढ़ाने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

12. जैसा कि रिपोर्ट में पहले कहा गया है, समिति चाहती है कि विदेश मंत्रालय से इन डीपीएसयू द्वारा निर्मित नागरिक और सैन्य उपयोग के लिए उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में एक मंच प्रदान करने का अनुरोध किया जाए।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन

<u>बजट</u>

13. समिति पिछले पांच वर्षों के दौरान रक्षा विभाग, अनुसंधान एवं विकास विभाग को किए गए बजटीय प्रावधानों पर ध्यान देती है। आंकड़ों से पता चलता है कि प्रस्तावित बजट अनुमान और स्वीकृत या आवंटित बजट अनुमान में हमेशा कमी आई है। वर्ष 2019-20 में अनुमानित राशि 22,953.95 करोड़ रुपये थी, जबकि आवंटित राशि 19021.02 करोड़ रुपये थी जो अनुमान से 3932.93 करोड़ रुपये कम थी। वर्ष 2020-21 में, अनुमानित राशि 23,457.40 करोड़ रुपये थी, जबकि आवंटित राशि 19,327.35 करोड़ रुपये थी जो अनुमान से 4130.05 करोड़ रुपये कम थी। वर्ष 2021-22 में अनुमानित राशि 23,460 रुपये थी और आवंटित राशि 20,457.44 करोड़ रुपये थी जो अनुमान से 3002.56 रुपये कम थी। इसी तरह, वर्ष 2022-23 में, अनुमानित राशि 22,990 करोड़ रुपये थी और आवंटित राशि 21,330.20 करोड़ रुपये थी जो अनुमान से 1659.80 करोड़ रुपये कम थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, अनुमानित राशि 23,790 करोड़ रुपये थी और आवंटित राशि 23,263.89 करोड़ रुपये है। समिति नोट करती है कि पहली बार, अंतर मामूली है और 526.11 करोड़ रुपये है। समिति समझती है कि एक वर्ष में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों की परिकल्पना करते हुए बहुत सुविचारित कार्य करने के बाद प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को भविष्य में सभी प्रयास करने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राशि आवंटित करते समय बजट में कोई कटौती न हो।

14. इसके अलावा, बजटीय अनुदानों के संबंध में समिति ने पिछले कुछ वर्षों में कुल सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में डीआरडीओ के व्यय में गिरावट पाई है। रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों से, समिति पाती है कि कुल जीडीपी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का प्रतिशत हिस्सा 2017-18 में 0.088 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 0.078 प्रतिशत रह गया है। डीआरडीओ के लिए अधिदेश अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है और अंततः ऐसी प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के माध्यम से हमारी सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रणालियों और प्लेटफार्मों से सुसज्जित करना है। यद्यपि डीआरडीओ ने एयरोनॉटिक्स, आयुध, लड़ाकू वाहन, लड़ाकू इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइल, जीवन विज्ञान, सामग्री और नौसेना प्रणालियों जैसे विभिन्न विषयों में अत्याधुनिक रणनीतिक और सामरिक सैन्य हार्डवेयर और संबंधित प्रौद्योगिकियों का उत्पादन करने की अपनी क्षमता साबित की है, लेकिन जब आवंटन लगातार कम हो रहे हैं, तो डीआरडीओ के लिए विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और विरोधियों पर बढ़त हासिल करना मुश्किल होगा। समिति की राय है कि रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए डीआरडीओ के बजट अनुदानों को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए, समिति चाहती है

कि डीआरडीओ अनुमानों पर उचित विचार किया जाना चाहिए और पर्याप्त बजटीय सहायता दी जानी चाहिए।

15. समिति को आगे बताया गया कि चालू वर्ष में, डीआरडीओ ने बजट अनुमान चरण में 23,263.89 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है, जो रक्षा बजट का 5.1% है। मंत्रालय के अनुसार, विशेष अनुसंधान और विकास बजट केवल 5,000 करोड़ रुपये है, इसमें से 25% यानी लगभग 1300 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसलिए यह बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि डीआरडीओ परियोजनाओं के लिए वास्तव में बची राशि कम है। समिति का मानना है कि सुदृढ़ आधुनिक रक्षा तंत्र के लिए अनुसंधान और विकास पहली आवश्यकता है और सरकार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास को आउटसोर्स करने के साथ-साथ डीआरडीओ की घरेलु परियोजनाओं के लिए धन का ध्यान रखना होगा। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि 2023-24 के दौरान डीआरडीओ को उसकी चालू और भावी परियोजनाओं के लिए बाद के चरण यानी आरई में पर्याप्त निधियां दी जाएं।

<u>**निजी उद्योगों के साथ डीआरडीओ का सहयोग**</u>

16. समिति नोट करती है कि डीआरडीओ ने अपनी अनुसंधान संबंधी गतिविधियों में निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी कर तेजी से प्रगति की है। समिति इस दिशा में बड़ी संख्या में उठाए गए कदमों की सराहना करती है जैसे विश्व स्तरीय परीक्षण सुविधाएं शुरू करना, अग्रणी उद्योग मंडलों के साथ समझौता ज्ञापन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण द्वारा निजी उद्योग को प्रदान की गई सहायता, निजी उद्योग को मुफ्त में पेटेंट प्रदान करना और प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) को 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ करना। समिति का विचार है कि निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी आगे बढ़ने का रास्ता है और अनुसंधान संबंधी गतिविधियों में सुधार के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन देने का कार्य कर सकती है।

17. इस संबंध में, समिति सिफारिश करती है कि बेहतर परिणामों के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच बेहतर सहयोग सुनिश्चित करने के प्रयास तेज किए जाने चाहिए और इस कार्य की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए, उचित निगरानी तंत्र विकसित करने और स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकसित किए जा रहे उत्पादों के संबंध में किसी तरह की जानकारी बाहर न जाए।

18. समिति ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई विभिन्न नीतियों के विषय में जाना। समिति इस बात की सराहना करती है कि रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी से रक्षा उत्पादन लाइन का तकनीकी विकास बेहतर

होगा। तथापि, साथ ही समिति यह सिफारिश करती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाने की आवश्यकता है कि रिवर्स इंजीनियरिंग आदि जैसी पद्धतियों द्वारा हमारी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां हमारे विरोधियों के हाथों में न चली जाएं। समिति चाहती है कि रक्षा मंत्रालय निर्धारित प्रक्रियाओं संबंधी एक विस्तृत नोट प्रस्तुत करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रक्षा से संबंधित हमारी प्रौद्योगिकियां पूरी तरह सुरक्षित हैं।

<u>परियोजनाओं में देरी</u>

19. समिति पाती है कि 178 मिशन मोड परियोजनाओं में से 119 अर्थात दो-तिहाई परियोजनाओं में विलंब हुआ है और मूल समय-सारणी का पालन नहीं किया गया है। समिति यह भी नोट करती है कि परियोजनाओं को पूरा करने में समय और लागत में वृद्धि हुई है और परियोजनाओं के ऐसे मामले है जिन्हें एक या अधिक प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होने के बावजूद उन्हें सफल घोषित किया गया और बंद कर दिया गया। समिति पाती है कि परियोजनाओं को पूरा करने में देरी देरी अक्सर हो जाती है। तथापि, निर्धारित तंत्र के बावजूद अत्यधिक विलंब हो रहा है जो न केवल अनावश्यक लागत वृद्धि का बोझ डालता है बल्कि सेनाओं को महत्वपूर्ण क्षमताओं से भी वंचित करता है। समिति का मानना है कि करदाताओं के धन का सभी विभागों द्वारा विवेकपूर्ण और उचित उपयोग किया जाना चाहिए। इसलिए, यह सिफारिश की जाती है कि परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं। यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी कि सभी परियोजनाओं के लिए सभी अल्पकालिक और दीर्घकालिक मील के पत्थर हासिल किए जाएं।

20. प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिए जाने तक, वादे के अनुसार डीआरडीओ द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि अन्य सभी संगत ब्यौरों सहित प्रत्येक परियोजना पर परियोजनाओं की संख्या, समय और लागत में वृद्धि/कारणों के बारे में विस्तृत जानकारी तीन महीने के भीतर प्रस्तुत की जाए।

<u>आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण</u>

21. समिति पाती है कि देश ने स्वदेशी स्रोतों से रक्षा वस्तुओं की खरीद में भारी वृद्धि की है। इस तथ्य के बावजूद समिति इस बात से अवगत है कि आज भी देश अपनी महत्वपूर्ण रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। इस तथ्य को देखते हुए कि तकनीकी रूप से उन्नत देश भारत जैसे विकासशील देशों के साथ अपनी उन्नत प्रौद्योगिकियों को साझा करने के लिए अनिच्छुक हैं, हमारी प्रयोगशालाओं के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि वे स्वतंत्र रूप से या निजी उद्योग / ओईएम के सहयोग से प्रत्येक प्रणाली, उप-प्रणालियों,

घटकों आदि को विकसित करें। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि मूल अनुसंधान करना एक लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया है, डीआरडीओ अन्य उपलब्ध साधनों और अल्पकालिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादों को विकसित करने के बारे में भी सोच सकता है। समिति यहां सिफारिश करती है कि वित्त मंत्रालय को अनुसंधान उद्देश्यों से संबंधित सभी प्रकार के मॉड्यूल के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए मनाया जाना चाहिए ताकि डीआरडीओ द्वारा अनुसंधान और विकास गतिविधियों का स्वदेशीकरण युद्ध स्तर पर किया जा सके।

<u>परमाणु, जैविक और रासायनिक (एनबीसी) हमलों के विरुद्ध सुरक्षा</u>

22. समिति विश्व के वर्तमान परिदृश्य में परमाणु, जैविक और रासायनिक हमलों के लगातार बढ़ते खतरे से अवगत है। समिति को एनबीसी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए डीआरडीओ प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित क्षमता से अवगत कराया जाता है। समिति डीआरडीओ के अनुसंधान एवं विकास प्रयासों की सराहना करती है जिसने एनबीसी का पता लगाने, संरक्षण, परिशोधन और चिकित्सा प्रबंधन के लिए कई उत्पादों के विकास को सक्षम बनाया है। समिति डीआरडीओ द्वारा एनबीसी युद्ध क्षमताओं के क्षेत्र में उच्च वैज्ञानिक विकास की दिशा में अधिक सक्रिय प्रयासों को देखना चाहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि भविष्य के युद्ध अधिक से अधिक एनबीसी पर आधारित होंगे।

23. इस संबंध में, समिति यह सिफारिश करती है कि एनबीसी युद्ध के क्षेत्र में डीआरडीओ के अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि देश एक संकटपूर्ण स्थिति में अपने आप को असुरक्षित महसूस न करे।

<u>राष्ट्रीय कैडेट कोर</u>

<u>बजट</u>

24. समिति ने पिछले पांच वर्षों से संबंधित मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी और आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद पाती है कि वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्व और पूंजी सहित कुल आवंटन 1584.21 करोड़ रुपये था जबकि व्यय 1435.75 करोड़ रुपये था। इसी प्रकार, वर्ष 2019-20 के दौरान 1631.92 करोड़ रुपये के आवंटन के मुकाबले, व्यय 1595.87 करोड़ रुपये था। समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि वर्ष 2021-22 के दौरान, प्रवृत्ति बदली है और एनसीसी ने 1685.63 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो 1650.76 करोड़ रुपये के आवंटन से लगभग 35 करोड़ रुपये अधिक है।

25. इस वर्ष (2023-24) एनसीसी ने राजस्व खंड में 2763.12 करोड़ रुपये और पूंजीगत क्षेत्र में 13.00 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था। समिति नोट करती है कि इस वर्ष आवंटन एक-एक रुपये से मेल खाता है और मंत्रालय ने 2776.12 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। प्रकट रूप से, यह एनसीसी के बजट में सुधार प्रतीत होता है, लेकिन आंकड़ों की बारीकी से जांच करने पर समिति नोट करती है कि यह राजस्व बजट ही है जो हर साल बढ़ रहा है और इसके विपरीत, पूंजी बजट हर वर्ष घट रहा है या स्थिर बना हुआ है। एनसीसी का पूंजीगत व्यय 2018-19 में 22.40 करोड़ रुपये से घटकर 2023-24 में 13 करोड़ रुपये हो गया है, इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि पूंजीगत बजट आवंटन भी वृद्धिशील होना चाहिए क्योंकि एनसीसी का पूंजीगत बजट माइक्रोलाइट विमान, सिमुलेटर और अन्य अत्याधुनिक प्लेटफार्मों आदि जैसी दीर्घकालिक परिसंपत्तियों की जरूरतो को पूरा करता है जो न केवल आवश्यक प्रशिक्षण उपस्कर हैं, बल्कि ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायक होंगें जो गतिशील क्षेत्रों में समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप है।

<u>बुनियादी ढांचे की कमी</u>

26. समिति नोट करती है कि एनसीसी निदेशालय एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षित करने के मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है और 825 एनसीसी इकाइयों की मदद से यह पूरे देश में लगभग 15 लाख कैडेटों को प्रशिक्षित कर रहा है। समिति समझती है कि 15 लाख कैडेटों को प्रशिक्षण देने के लिए बहुत अधिक जनशक्ति और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। अपनी पिछली रिपोर्टों में भी समिति ने एनसीसी के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण संस्थानों की कमी का मुद्दा उठाया था, जिस कारण इसे सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए विकसित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस वर्ष भी विचार-विमर्श के दौरान, अवसंरचना के उन्नयन और नए उपकरणों की खरीद का मुद्दा समिति के समक्ष पुनः आया है। इस संबंध में, समिति चाहती है कि यदि आने वाले वर्षों में मंत्रालय द्वारा इसकी बजटीय मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो एनसीसी निदेशालय बुनियादी ढांचे के विकास और नए उपकरणों की खरीद के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास हेतु सांसद निधि(एमपीएलएडी) से व्यय साझा करने के लिए स्थानीय संसद सदस्य से संपर्क करे।

27. प्रशिक्षण के नए क्षेत्रों को खोलने के संबंध में, जो कैडेटों को बहुमुखी बना देगा, समिति की राय में, यह सही समय है कि साइबर/कंप्यूटर विशेषज्ञता, लेजर विशेषज्ञता और अंतरिक्ष विज्ञान को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल का विस्तार/संशोधन किया जाए। समिति इस बात से अवगत है कि साइबर अपराध हर साल बड़े स्तर पर बढ़ रहे हैं और ऐसे प्रशिक्षित कैडेटों का उपयोग बुजुर्गों और साइबर निरक्षर आबादी को बैंकिंग लेनदेन आदि जैसे साइबर अनुप्रयोगों का उचित उपयोग करने का प्रशिक्षिण प्रदान करने के लिए कर सकते है। आईटी कौशल में ड्रोन अनुप्रयोगों पर विशिष्ट प्रशिक्षण भी शामिल होना चाहिए जो समय की मांग है। यह सिफारिश

करना अनुचित नहीं होगा कि यदि आवश्यक हो, तो एनसीसी कैडेटों को विशेषज्ञ संस्थानों के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि उन्हें प्रशिक्षण के सभी नए रूपों में प्रशिक्षित किया जा सके जैसा कि ऊपर बताया गया है। की-गई-कार्रवाई नोट प्रस्तुत करते समय, समिति इस संबंध में प्रस्तुत विशिष्ट परियोजना/प्रस्ताव का अध्ययन करना चाहेगी जिसमें एक ऐसी प्रक्रिया / प्रयोग भी शामिल हो सकती है जिसके तहत अगले वर्ष से इस सिफारिश को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होगी।

<u>एनसीसी कैडेटों के प्रशिक्षण के लिए प्रतीक्षा सूची वाले संस्थान और प्रशिक्षक</u>

28. समिति ने अपनी पिछले प्रतिवेदनों में इस बात की सराहना की थी कि प्रतीक्षा सूची को कम करने के लिए सरकार ने पूर्णतः स्व-वित्तपोषित योजना (एफएसएफएस) शुरू की है जिसके अंतर्गत निकटतम एनसीसी इकाई के मार्गदर्शन में एनसीसी प्रशिक्षण चलाने की लागत वहन करने के इच्छुक शैक्षिक संस्थान एनसीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तथापि, मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का अवलोकन करने के बाद समिति नोट करती है कि एफएसएफएस के बावजूद यह अंतर लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2021 में 9247 संस्थान प्रतीक्षा सूची में थे, जो 2023 में बढ़कर 9795 हो गए। इस संबंध में, युवा नागरिकों के चरित्र, सौहार्द, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा के विकास के साथ-साथ सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए एक प्रवेश द्वार खोलने में एनसीसी के योगदान को पहचानते हुए समिति सिफारिश करती है कि प्रतीक्षा सूची वाले संस्थानों के बैकलॉग को भरने के लिए एक केन्द्रित प्रयास किया जाना चाहिए और कोई भी कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। समिति उपर्युक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक विशिष्ट प्रस्ताव चाहेगी जो उन्हें की-गई-कार्रवाई नोट प्रस्तुत करते समय प्रदान किया जा सकता है।

29. समिति यह भी समझती है कि एफएसएफएस के तहत निजी कॉलेजों को आवंटन के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ डिवीजन/सीनियर विंग कैडेटों के लिए लगभग एक लाख रिक्तियां अनुमोदित की गई हैं। अनुदान की मांगें 2023-24 की जांच के दौरान एनसीसी द्वारा प्रशिक्षकों के रूप में पूर्व सैनिकों और पूर्व एनसीसी कैडेटों की भर्ती का भी मुद्दा उठाया गया। इस संबंध में समिति सिफारिश करती है कि एन सी सी में प्रशिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए मंत्रालय को भूतपूर्व सैनिकों और एक्सचेंज पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन (एक्सपीए) जिसमें स्वयंसेवक और एनसीसी कैडेट शामिल हैं जैसे गैर-लाभकारी संगठनों से प्रशिक्षकों को भर्ती करने की प्रणाली को संस्थागत रूप देने पर विचार करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से एनसीसी कैडेटों की प्रशिक्षण लागत में कमी आएगी और बचाए गए संसाधनों का उपयोग अन्य विकासात्मक गतिविधियों में किया जाएगा। समिति चाहती है कि ऐसा करने की अनुमति देते समय प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सख्ती से बनाए रखा जाए और प्रशिक्षण प्रक्रिया की निगरानी के लिए उचित निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

<u>सशस्त्र बलों में एनसीसी कैडेटों की कम चयन दर</u>

30. मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से, समिति नोट करती है कि सशस्त्र सेनाओं में कर्मचारी चयन बोर्ड (एसएसबी) के माध्यम से एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र धारकों की चयन दर में इन सभी वर्षों के दौरान केवल मामूली वृद्धि हुई है, समिति के लिए भर्ती के इन कम आंकड़ों को नोट करना संतोषजनक नहीं है। 2018 से 2022 तक एनसीसी कैडेटों की भर्ती 889 की उपलब्ध रिक्तियों की तुलना में केवल 473 थी, जो प्रतिशत में मुश्किल से 53.20 प्रतिशत है। समिति नोट करती है कि तीनों सेनाओं में अधिकारियों की कमी के बावजूद एनसीसी ने अपने कैडेटों को सेना, नौसेना और वायु सेना में अधिकारी बनने के लिए प्रशिक्षित करने को उचित महत्व नहीं दिया है।

31. इसलिए, समिति यहां सिफारिश करती है कि मंत्रालय को प्रशिक्षण रणनीति पर पुनः विचार करना चाहिए और संशोधित पाठ्यचर्या/व्यावहारिक प्रशिक्षण शुरू करना चाहिए ताकि कैडेटों का चयन कर्मचारी चयन बोर्ड (एसएसबी) के प्रत्यक्ष प्रवेश मार्ग के माध्यम से किया जा सके।

<u>एनसीसी कैडेटों के लिए उपलब्ध नौकरी के अवसर</u>

32. समिति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से नोट करती है कि सेना, शॉर्ट सर्विस कमीशन, नौसेना और वायु सेना में सीटों का आरक्षण सेना में प्रति बैच 45 से लेकर वायु सेना में 03 प्रति बैच तक है। समिति ने यह भी नोट करती है कि सीएपीएफ और असम राइफल्स के साथ-साथ भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी कार्यक्रमों में एनसीसी के 'सी' प्रमाणपत्र धारक को बोनस अंक भी प्रदान किए गए हैं।

33. इस संबंध में, समिति की इच्छा है कि सीएपीएफ में भर्ती के लिए बोनस अंक को उचित स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि एनसीसी कैडेटों को अधिक महत्व दिया जा सके और दूसरी ओर इन सेनाओं को उनकी सेवाओं में अधिक अनुशासित, प्रशिक्षित युवा मिलेंगे। इससे एनसीसी कैडेटों में सुरक्षा की भावना भी पैदा होगी। समिति को उन कैडेटों की संख्या के संबंध में सटीक आंकड़े भी प्रदान किए जाएं, जो 'सी सर्टिफिकेट' प्राप्त करने के बाद पिछले तीन वर्षों के दौरान असम राइफल्स, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ आदि सहित तटरक्षक/अर्ध सैन्य बलों जैसी अन्य वर्दीधारी सेवाओं में भर्ती हुए है।

नई दिल्ली;	**जुएल ओराम**
<u>17 मार्च, 2023</u>	**सभापति**
फाल्गुन, 1944 (शक)	**रक्षा संबंधी स्थायी समिति**

<u>रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23)</u>

<u>रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश</u>

समिति की बैठक सोमवार, 20 फरवरी, 2023 को 1100 बजे से 1800 बजे तक मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जुएल ओराम - सभापति

सदस्य

लोकसभा

2. श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री रतन लाल कटारिया
5. कुंवर दानिश अली
6. श्री एन. रेड़डप्पा
7. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
8. श्री बृजेन्द्र सिंह

राज्यसभा

9. डॉ. अशोक बाजपेयी
10. श्री प्रेम चंद गुप्ता
11. श्री सुशील कुमार गुप्ता
12. श्रीमती पी.टी. उषा
13. श्री जी. के. वासन
14. ले. जनरल (डॉ.) डी. पी. वत्स (रिटा.)

सचिवालय

1.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. संजीव शर्मा	-	निदेशक
3.	श्री राहुल सिंह	-	उप सचिव

साक्षियों की सूची

रक्षा मंत्रालय

क्रमांक	नाम	पद
आम रक्षा बजट		
1.	श्री गिरिधर अरामाने	रक्षा सचिव
2.	लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू	वीसीओएएस
3.	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव
4.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
5.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अपर सचिव/डीओडी
6.	लेफ्टिनेंट जनरल राजिंदर दीवान	क्यूएमजी
7.	लेफ्टिनेंट जनरल समीर गुप्ता	डीजी एफपी
8.	लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार	डीसीओएएस (स्ट्रैट)
9.	लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह	डीसीआईडीएस (पीपी और एफ़डी)
10.	लेफ्टिनेंट जनरल जेबी चौधरी	डीसीओएएस (सीडी और एस)
11.	लेफ्टिनेंट जनरल सी बंसी पोनप्पा	एड्ज्युटेंट जनरल
12.	लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया	ई-इन-सी
13.	लेफ्टिनेंट जनरल सीपी करियप्पा	एमजीएस
14.	लेफ्टिनेंट जनरल वी श्रीहरि	डीजी (एमपी और पीएस)
15.	लेफ्टिनेंट जनरल विनीत गौड़	डीजी सीडी
16.	एयर मार्शल बी आर कृष्णा	सीआईएससी
17.	एवीएम एम मेहरा	एसीएएस फिन (पी)
18.	एवीएम एच बैंस	जेएस (वायु) और जेएस (नौसेना)
19.	श्री डी.के. राय	जेएस (प्लानिंग/पार्ल) और एस्टा.

20.	मेजर जनरल के नारायणन	जेएस (सेना और टीए)
21.	श्री राजेश शर्मा	अतिरिक्त एफए (आरएस) और जेएस
22.	आर एडमिरल दलबीर एस गुजराल	एसीआईडीएस (एफपी और एडीएम)
23.	रियर एडमिरल सीआर प्रवीण नायर	एसीएनएस (पी और पी)
24.	मेजर जनरल बिक्रमदीप सिंह	एडीजी एफपी
25.	ब्रिगेडियर अजय कटोच	ब्रिगेडियर एसपी (योजना)
रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रम		
1.	श्री गिरिधर अरामाने	रक्षा सचिव
2.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
3.	श्री टी नटराजन	अपर सचिव (डीपी)
4.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अपर सचिव/डीओडी
5.	श्री शलभ त्यागी	जेएस (पी एंड सी)
6.	श्री राजीव प्रकाश	जेएस (एनएस)
7.	श्री जयंत कुमार	जेएस (एयरो)
8.	श्री अनुराग बाजपेयी	जेएस (डीआईपी)
9.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव	जेएस (एलएस)
10.	सीएमडी सिद्धार्थ मिश्रा (सेवानिवृत्त)	सीएमडी, बीडीएल
11.	श्री सी बी अनंत कृष्णन	सीएमडी, एचएएल
12.	श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव	सीएमडी, बीईएल
13.	सीएमडी हेमंत खत्री	सीएमडी, एचएसएल
14.	श्री अमित बनर्जी	सीएमडी, बीईएमएल
15.	श्री ब्रजेश कुमार उपाध्याय	सीएमडी, जीएसएल
16.	सीएमडीई पीआर हरि	सीएमडी, जीआरएसई
17.	डॉ. एस. के. झा	सीएमडी, मिधानी
18.	श्री संजीव सिंघल	सीएमडी, एमडीएल
19.	श्री पी राधाकृष्ण	निदेशक (उत्पादन)
20.	सीएमडीटी राजीव पंहोत्रा	एजीएम (जीएसएल)
रक्षा संपदा महानिदेशालय		
1.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
2.	लेफ्टिनेंट जनरल अदोश कुमार	डीजी एलडब्ल्यू एंड ई
3.	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव
4.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अवर सचिव/डीओडी

5.	श्री राजेश शर्मा	अतिरिक्त एफए (आरएस) और जेएस
6.	श्री राकेश मित्तल	जेएस (एल और डबल्यू / एसएस)
7.	श्री अजय कुमार शर्मा	डीजीडीई
8.	सुश्री सोनम यांगडोल	एडिशनल डीजी
9.	मेजर जनरल राजदीप सिंह रावल	एडीजी एलडब्ल्यू एंड ई
10.	सुश्री शर्मिष्ठा मैत्रा	निदेशक (भूमि)
11.	श्री वलेती प्रेमचंद	एडिशनल डीजी
12.	सुश्री निगार फातिमा	एडिशनल डीजी
13.	सुश्री विभा शर्मा	एडिशनल डीजी
14.	श्री अमित कुमार	डीडीजी
15.	श्री अभिषेक आजाद	सहायक महानिदेशक
16.	श्री विजय मल्होत्रा	निदेशक (प्रश्नोत्तर/कार्य)
सीमा सड़क संगठन		
1.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
2.	लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी	डीजीबीआर
3.	लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया	ई-इन-सी
4.	डॉ. अजय कुमार	जेएस (बीआर)
5.	श्री राजेश शर्मा	अतिरिक्त एफए (आरएस) और जेएस
6.	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव
7.	श्री पंकज अग्रवाल	डीजी (एसीक्यू)
8.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अवर सचिव/डीओडी
तटरक्षक संगठन		
1.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
2.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अपर सचिव/डीओडी
3.	श्री राजेश शर्मा	अतिरिक्त एफए (आरएस) और जेएस
4.	श्री मनीष त्रिपाठी	जेएस (एएफ़/ नीति)
5.	एडीजी राकेश पाल	एडीजी सीजी और एडिशनल चार्ज डीजी आईसीजी
नौसेना और संयुक्त स्टाफ		
1.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
2.	लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू	वीसीओएएस
3.	वाइस एडमिरल एसएन घोरमाडे	वीसीएनएस

4.	वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी	पुलिस अधिकारी
5.	लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह	डीसीआईडीएस
6.	एयर मार्शल बी आर कृष्णा	सीआईएससी
7.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अवर सचिव/डीओडी
8.	एवीएम एच बैंस	जेएस (नौसेना)
9.	आर एडमिरल दलबीर एस गुजराल	एसीआईडीएस
10.	आर एडमिरल कपिल मोहन धीर	वरिष्ठ सलाहकार/डीएमए
11.	आर एडमिरल सीआर प्रवीण नायर	एसीएनएस (पी और पी)
12.	श्री राजेश शर्मा	अतिरिक्त एफए (आरएस) और जेएस

2. प्रारंभ में, अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों की जांच के संबंध में रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों की बैठक की कार्यसूची अर्थात् मौखिक साक्ष्य के बारे में सूचित किया।

3. तत्पश्चात, सभापति ने समिति की बैठक में रक्षा सचिव, सशस्त्र सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत किया जो कि रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों वर्ष 2023-24 से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए बुलाई गई थी।

4. सभापति ने बैठक की समग्र कार्यसूची अर्थात वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों की जांच के संबंध में 'सामान्य रक्षा बजट, रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, सैन्य मामलों का विभाग (डीएमए), रक्षा मंत्रालय (सिविल), रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रम (डीपीएसयू), रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), तटरक्षक संगठन (सीजीओ), नौसेना और संयुक्त कर्मचारी' विषयों पर में रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य के बारे में सूचित किया और रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों से दिन की कार्यसूची में शामिल विभिन्न मुद्दों पर समिति को जानकारी देने का अनुरोध किया। उन्होने उनका ध्यान माननीय अध्यक्ष, लोकसभा के निदेश 55(1) की ओर भी आकर्षित किया जिसके अनुसार यहां पर जो भी चर्चा की गई है, उसे तब तक गोपनीय रखा जाए जब तक कि इस विषय पर समिति का प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत न कर दिया जाए।

5. रक्षा सचिव ने 2023-24 के लिए रक्षा मंत्रालय के रक्षा सेवा अनुमानों और अन्य अनुदान मांगों का अवलोकन करके चर्चा शुरू की। रक्षा सचिव द्वारा दिए गए संक्षिप्त विवरण की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

एक. बजट 2022-23 में आवंटन की तुलना में कुल रक्षा बजट में 68,371 करोड़ रुपये अर्थात् 13 प्रतिशत की वृद्धि; और

दो. 2023-24 में गैर-वेतन राजस्व आवंटन में अभूतपूर्व 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

6. तत्पश्चात्, समिति के समक्ष सामान्य रक्षा बजट पर पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसके बाद निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया:

i. वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने के लिए रक्षा आवंटन में वृद्धि;
ii. युद्ध की उभरती और विकसित प्रौद्योगिकियों को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक हथियारों और गोला-बारूद के उन्नयन और आधुनिकीकरण की योजना;
iii. 2023-24 में अनुसंधान और विकास और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के लिए आवंटन;
iv. सशस्त्र बलों के लिए उपस्करों, हथियारों और गोला-बारूद की समय पर खरीद;
v. संशोधित अनुमान 2022-23, मुद्रास्फीति और डॉलर की तुलना में रुपये के अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुए 2023-24 के लिए रक्षा बजट में वृद्धि;
vi. अग्निपथ योजना के कार्यान्वयन के कारण पेंशन देनदारियों पर बचत और प्रभाव;
vii. रक्षा क्षेत्र में पूर्ण स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए रणनीति;
viii. सशस्त्र सेनाओं के लिए जनशक्ति की भर्ती बढ़ाने की आवश्यकता;
ix. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में रक्षा बजट;
x. अव्यपगत रक्षा आधुनिकीकरण कोष का गठन;
xi. देश के कुल बजट में रक्षा बजट का हिस्सा;
xii. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा बजट के अनुमान और आबंटन के बीच अंतर;
xiii. जासूसी की घटनाओं को रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन की मौजूदा प्रणाली;
xiv. घरेलू स्रोतों के माध्यम से पूंजीगत अधिप्राप्ति के 68 प्रतिशत के लक्ष्य की प्राप्ति;
xv. रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों के साथ सहयोग;
xvi. रक्षा क्षेत्र में वैज्ञानिकों के लिए प्रोत्साहन;
xvii. रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदार देशों का चयन; और
xviii. बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च के संबंध में पड़ोसी देशों के साथ तुलना।

7. समिति की ओर से माननीय सभापति ने बेंगलुरु में आयोजित एयरो इंडिया 2023 के सफल आयोजन के लिए रक्षा मंत्रालय, एचएएल, डीआरडीओ और अन्य भागीदार संगठनों को बधाई दी।

8. जलपान के पश्चात् रक्षा मंत्रालय और सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) के प्रतिनिधियों ने अपने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से 'सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों' विषय पर संक्षिप्त जानकारी देनी शुरू की।

इसके बाद निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया:

i. डीपीएसयू के बोर्डों में स्वतंत्र निदेशकों की भर्ती;
ii. डीपीएसयू के बोर्डों में रिक्तियों को भरना;
iii. देश में कच्चे माल की उपलब्धता;
iv. मिश्रा धातु निगम लिमिटेड (मिधानी) के कार्यकरण में सुधार की आवश्यकता;
v. रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में निजी संस्थाओं और शिक्षण संस्थानों से सहायता;
vi. देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के साथ डीपीएसयू का समन्वय;
vii. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) द्वारा अधिग्रहित नई संविदाएं;
viii. रक्षा औद्योगिक गलियारों के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोध;
ix. रक्षा विनिर्माण में निजी कंपनियों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता;
x. मिसाइलों और रॉकेटों के निर्माण के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) द्वारा विदेशी सहयोग;
xi. एचएएल की उत्पादन क्षमता, किसी उत्पाद के विकास में लगने वाला समय और स्वदेशी इंजनों का उपयोग;
xii. बाजार में मिधानी द्वारा निर्मित स्वास्थ्य उपकरणों और स्टेंट की उपलब्धता;
xiii. एचएएल द्वारा हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और विमान और 5वीं पीढ़ी के विमानों के निर्माण के लिए समय सीमा;
xiv. उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारे के लिए बीईएल का योगदान;
xv. सशस्त्र बलों के लिए उपस्करों के विकास और वितरण के लिए डीपीएसयू द्वारा लिया गया समय;
xvi. स्वदेशीकरण की 4 सकारात्मक सूचियों में अंतर;
xvii. डीपीएसयू द्वारा स्वदेशीकरण के प्रयासों को तेज करने और निर्यात में वृद्धि की आवश्यकता;

xviii. अंबाला में रक्षा गलियारों और अन्य सुविधाओं की स्थापना; और

xix. मिधानी द्वारा बुलेटप्रूफ जैकेट के निर्माण की प्रगति।

9. इसके पश्चात्, रक्षा संपदा संगठन (डीईओ) के प्रतिनिधियों द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके बाद निम्नलिखित बिंदुओं पर व्यापक चर्चा हुई:

i. 2022-23 के लिए डीईओ के संशोधित अनुमान आबंटन में वृद्धि;

ii. रक्षा भूमि की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव;

iii. छावनी क्षेत्रों में आम जनता द्वारा सड़कों के उपयोग में होने वाली असुविधाओं आदि जैसे मुद्दे और इन मुद्दों के समाधान के प्रयास;

iv. छावनी बोर्डों के लिए चुनाव;

v. छावनी क्षेत्रों में 'मरम्मत' करने के लिए सीमा में वृद्धि और उप-नियमों में संशोधन;

vi. नया छावनी विधेयक;

vii. स्कूलों और रक्षा संस्थानों को छावनी क्षेत्रों से सटे सिविल नगर निकायों को सौंपने के संबंध में नीति; और

viii. डीईओ से संबंधित लंबित मामले।

10. डीईओ के पश्चात्, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) विषय पर एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। इस विषय पर निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया:

i. बीआरओ द्वारा निर्माण के लिए वन और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की मंजूरी;

ii. बीआरओ द्वारा निर्मित सामान्य सड़क और नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके निर्मित सड़क के बीच लागत का अंतर;

iii. किसी सड़क को 'सीमा' सड़क के रूप में वर्गीकृत करना;

iv. पिछले कुछ वर्षों में बीआरओ के लिए आबंटित बजट और संशोधित अनुमानों के बीच अंतर;

v. 2023-24 के लिए बीआरओ के बजटीय आंकड़े;

vi. उत्तराखंड के जोशीमठ में हाल की घटना को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों को निष्पादित करते समय बीआरओ द्वारा सुरक्षा, भूवैज्ञानिक और सुरक्षा मापदंडों पर विचार;

vii. जनशक्ति की आपूर्ति के लिए झारखंड सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू);

viii. बीआरओ द्वारा निर्मित बुनियादी ढांचे के कारण पर्यटन के अवसरों में सहायता; और

ix. उन क्षेत्रों में कल्याणकारी गतिविधियां जहां से बीआरओ द्वारा अधिकतम जनशक्ति नियुक्त की जाती है।

11. इसके बाद, माननीय सभापति ने तटरक्षक संगठन के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। तटरक्षक संगठन के प्रतिनिधियों ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से संक्षिप्त जानकारी देनी शुरू की। इसके बाद निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा हुई:

i. जनशक्ति और संसाधनों के संदर्भ में तटरक्षक संगठन की पर्याप्त क्षमता;
ii. 2021-22 और 2022-23 में तटरक्षक बल द्वारा ड्रग्स की ज़ब्ती और ड्रग्स तस्करी पर अंकुश; और
iii. कुछ राज्यों में समुद्री पुलिस में जनशक्ति की कमी।

12. तत्पश्चात्, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने नौसेना और संयुक्त स्टाफ विषय पर एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से संक्षिप्त जानकारी देनी शुरू की। इसके बाद अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया:

i. संशोधित अनुमान 2022-23, बजट अनुमान 2023-24 और नौसेना और संयुक्त स्टाफ के लिए अनुमानित आवश्यकता;
ii. स्वदेशी विमान वाहक पोत की लागत, कमीशनिंग और तीसरे विमान वाहक पोत का प्रस्ताव;
iii. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की संस्वीकृत पद संख्या;
iv. सशस्त्र बलों के एकीकरण की प्रगति;
v. पड़ोसी देशों की तुलना में भारतीय नौसेना की क्षमता;
vi. सैनिक स्कूलों और एनडीए में महिला उम्मीदवारों की भर्ती और उन्हें बलों में शामिल करने की योजना;
vii. सेनाओं में नई बटालियनों को जोड़ने का प्रस्ताव;
viii. सेनाओं में अधिकारी स्तर के रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव;
ix. राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को औपचारिक रूप देना;
x. वर्तमान खतरे के परिदृश्य का विश्लेषण; और
xi. चतुष्कोणीय सुरक्षा वार्ता (क्वाड) के सुरक्षा और सैन्य गठबंधन के रूप में विकसित होने की संभावना।

13. अंत में, माननीय सभापति ने अनुदानों की मांगों पर व्यापक चर्चा और माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए रक्षा मंत्रालय और सेना के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया। माननीय सभापति ने प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि जो जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है, उसे शीघ्रातिशीघ्र सचिवालय को उपलब्ध कराया जाए।

इसके पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की कार्यवाही के शब्दसः रिकार्ड की एक प्रति रिकार्ड में रखी गई है।

रक्षा संबंधी स्थायी समिति)2022-23)

रक्षा संबंधी स्थायी समिति की पांचवी बैठक का कार्यवाही सारांश (2022-23)

समिति की बैठक बुधवार, 22 फरवरी, 2023 को 1100 बजे से 1815 बजे तक मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जुएल ओराम - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. कुंवर दानिश अली
3. श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा
4. श्री रतन लाल कटारिया
5. डॉ. रामशंकर कठेरिया
6. डॉ. राजश्री मल्लिक
7. श्री एन. रेड़डप्पा
8. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
9. श्री बृजेन्द्र सिंह

राज्य सभा

10. डॉ. अशोक बाजपेयी
11. श्री प्रेम चंद गुप्ता
12. श्री सुशील कुमार गुप्ता
13. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
14. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
15. श्रीमती पी.टी. उषा
16. ले. जनरल (डॉ.) डी. पी. वत्स (रिटा.)
17. श्री के. सी. वेणुगोपाल

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. डॉ. संजीव शर्मा - निदेशक
3. श्री राहुल सिंह - उप सचिव

साक्षियों की सूची

रक्षा मंत्रालय

सेना		
1	जनरल अनिल चौहान	सीडीएस एंड सचिव/डीएमए
2	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
3	श्री राजेश शर्मा	एडिशनल एफए (आरएस) एंड जेएस
4	लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू	वीसीओएएस
5	लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार	डीसीओएएस (स्ट्रैट)
6	लेफ्टिनेंट जनरल जेबी चौधरी	डीसीओएएस (सीडी एंड एस)
7	लेफ्टिनेंट जनरल समीर गुप्ता	डीजी एफपी
8	लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार	डीजीएमओ
9	लेफ्टिनेंट जनरल सीपी करियप्पा	एमजीएस
10	लेफ्टिनेंट जनरल विनीत गौड़	डीजीसीडी
11	लेफ्टिनेंट जनरल सी बंसी पोनप्पा	एड्जूटेंट जनरल
12	लेफ्टिनेंट जनरल एजे फर्नांडीज	डीजी एसडी
13	लेफ्टिनेंट जनरल राजिंदर दीवान	क्यूएमजी
14	मेजर जनरल के नारायणन	जेएस (सेना एंड टीए)
15	मेजर जनरल आर पुतरजुनम	एडीजी एई 7 एचओएस (एईसी)
16	मेजर जनरल सीएस मान	एडीजी एडीबी
17	मेजर जनरल अभिनय राय	एडीजी एसपी
18	मेजर जनरल बिक्रमदीप सिंह	एडीजी एफपी
राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी)		
1	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)

2	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव
3	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अपर सचिव/डीओडी
4	लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह	डीजीएनसीसी
5	श्री राजेश शर्मा	एडीशनल एफए (आरएस) एंड जेएस
6	सुश्री निष्ठा उपाध्याय	संयुक्त सचिव
	सैनिक स्कूल	
1	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
2	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव
3	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अपर सचिव/डीओडी
4	श्री राजेश शर्मा	एडीशनल एफए (आरएस) एंड जेएस
5	श्री राकेश मित्तल	जेएस (लैंड /एसएस
	वायु सेना	
1	जनरल अनिल चौहान	सीडीएस एंड सचिव/डीएमए
2	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
3	एयर मार्शल एपी सिंह	वीसीएएस
4	एयर मार्शल एन तिवारी	डीसीएएस
5	एवीएम एच बैंस	जेएस (वायु)
6	श्री राजेश शर्मा	एडीशनल एफए (आरएस) एंड जेएस
7	एवीएम एम मेहरा	एसीएएस फिन (पी)
8	एवीएम जी थॉमस	एसीएएस (योजना)
9	एवीएम टी चौधरी	एसीएएस (प्रोजेक्ट)
	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ)	
1	डॉ. समीर वेंकटपति कामत	सचिव
2	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
3	श्री के एस वरप्रसाद	डीएस एंड डीजी (एचआर)
4	श्री हरि बाबू श्रीवास्तव	ओएस एंड डीजी
5	सुश्री सुमा वर्गीज	ओएस एंड डीजी (एमईडी एंड सीओएस)
6	डॉ. यूके सिंह	ओएस एंड डीजी (एलएस)
7	श्री पुरुषोत्तम बेज	ओएस एंड डीजी (आर एंड एम)
8	श्री ए डी राणे	ओएस एंड डीजी (ब्रह्मोस)
9	डॉ (सुश्री) चंद्रिका कौशिक	ओएस एंड डीजी (पीसी एंड एसआई)
10	श्री राजेश शर्मा	एडीशनल एफए (आरएस) एंड जेएस
11	श्री वेदवीर आर्य	एडीशनल एफए एंड जेएस

12	डॉ. रविंद्र सिंह	निदेशक (डीपीए)
13	डॉ. सुमित गोस्वामी	निदेशक (योजना एंड समन्वय)

आयुध निदेशालय - न्यू डीपीएसयू		
1	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव
2	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
3	श्री राजेश शर्मा	एडीशनल एफए (आरएस) एंड जेएस
4	श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव	जेएस (एलएस)
5	श्री राजीव प्रकाश	जेएस (एनएस)
6	श्री जयंत कुमार	जेएस (एयरो)
7	श्री शलभ त्यागी	जेएस (पी एंड सी)
8	श्री अनुराग बाजपेयी	जेएस (डीआईपी)
9	श्री संजीव किशोर	डीजीओ (सी एंड एस)
10	श्री एन आई लस्कर	डीडीजी (बजट)
11	श्री उमेश सिंह	डीडीजी (एनडीसीडी)
12	श्री बीरेंद्र प्रताप	निदेशक (एनडीसीडी)
13	श्री रवि कांत	सीएमडी (एमआईएल)
14	श्री राजेश चौधरी	सीएमडी (एडब्ल्यूईआईएल)
15	श्री एस.के. सिन्हा	सीएमडी (टीसीएल)
16	श्री राजीव पुरी	सीएमडी (वाईआईएल)
17	श्री संजीव कुमार	सीएमडी (आईओएल)
18	श्री वी.के. तिवारी	सीएमडी (जीआईएल)
19	श्री संजय द्विवेदी	निदेशक/अवनी
20	मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा	एडीजी एमओ (बी)
21	मेजर जनरल मोहित वाधवा	एडीजी ईएम

2. चूंकि समिति के सभापति बैठक में उपस्थित नहीं हो सके थे, इसलिए बैठक के दौरान उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. डीपी वत्स (सेवानिवृत्त) को बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 258 (3) के अनुसार कार्यवाहक सभापति के रूप में चुना गया था।

3. कार्यवाहक सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची के बारे में जानकारी दी। इसके बाद समिति ने रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया।

सभापति ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति की बैठक में उनका स्वागत किया और उनसे अनुरोध की कि वे समिति को उस दिन की कार्यसूची में शामिल विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी दें एवं उनका ध्यान लोकसभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55(1) की ओर आकृष्ट किया।

4. उप सेना प्रमुख ने समिति को सेना के बारे में बताते हुए संक्षिप्त चर्चा शुरू की और उसके पश्चात एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दी। इसके बाद निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया:

i) सेना को बजटीय आवंटन;
ii) वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण का पुनर्गठन।
iii) बुनियादी ढांचे, तकनीकी कौशल और सैन्य क्षमताओं का उन्नयन
iv) आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता और त्वरित राहत प्रदान करना
v) भारतीय सेना में लैंगिक तटस्थता
vi) सेना द्वारा खेलों में योगदान
vii) अक्टूबर 2022 से भारतीय सेना को आपातकालीन खरीद अधिकार
viii) मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता
ix) भविष्य में परमाणु, रासायनिक और जैविक युद्ध की तैयारी
x) भारतीय सेना में विंटेज और अन्य श्रेणी के उपकरणों की स्थिति
xi) भारतीय सेना द्वारा स्वदेशीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयास

5. इसके बाद, सभापति ने राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। उन्होंने समिति के समक्ष पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दी तत्पश्चात निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:

i) एनसीसी में प्रशिक्षकों की कमी और एनसीसी में प्रशिक्षक के रूप में भूतपूर्व सैनिकों/पूर्व एनसीसी कैडेटों की भर्ती
ii) एनसीसी कैडेटों के प्रशिक्षण के लिए नवीनतम उपकरणों की आवश्यकता
iii) राज्य सरकार और सीएपीएफ की नौकरियों में एनसीसी कैडेटों के लिए आरक्षण
iv) एनसीसी कैडेटों को साइबर, कंप्यूटर, लेजर और अंतरिक्ष विशेषज्ञता प्रशिक्षण
v) निजी उद्योगों में एनसीसी कैडेटों के लिए रोजगार के अवसर
vi) स्कूलों और कॉलेजों में स्व वित्त पोषण योजना (एसएफएस) का कार्यान्वयन।
vii) सशस्त्र बलों में अधिकारियों के रूप में एनसीसी कैडेटों की कम चयन दर से संबंधित मुद्दे

6. सभापति द्वारा सैनिक स्कूलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। सैनिक स्कूलों के प्रतिनिधियों ने पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अपनी चर्चा शुरू की, जिसके बाद निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हुई:

i) निजी क्षेत्र की भागेदारी में 100 नए स्कूल खोलना
ii) सैनिक स्कूलों में सेवानिवृत्त अधिकारियों/जेसीओ एनसीओ को प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य और प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त करना।
iii) सैनिक स्कूलों में धन की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता वाले कर्मचारियों की कमी।
iv) नए सैनिक विद्यालयों के शिक्षकों को अनिवार्य प्रशिक्षण।
v) सैनिक स्कूलों के छात्रों का कम संख्या में सशस्त्र बलों में शामिल होना

7. भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की आधुनिकीकरण योजना के संबंध में वायु सेना के उप प्रमुख द्वारा चर्चा के बाद, एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दी गई। तत्पश्चात, निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया:

i) वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के अनुमानित बजट में भारी गिरावट
ii) अधिकृत स्क्वाड्रनों की संख्या में कमी
iii) एलसीए में देरी के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करने के लिए अध्ययन
iv) लड़ाकू विमानों का आधुनिकीकरण
v) भारतीय वायु सेना में अधिकारियों की कमी

8. तत्पश्चात, रक्षा अनुसंधान और विकास पर डीआरडीओ के प्रतिनिधियों द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दी गई, जिसके बाद निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई:

i) निजी उद्योग को डीआरडीओ के नि:शुल्क पेटेंट
ii) निजी उद्योगों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण
iii) निजी उद्योग द्वारा डीआरडीओ की परीक्षण सुविधाओं का उपयोग
iv) डीआरडीओ की मिशन मोड परियोजनाओं में देरी से संबंधित मुद्दा
v) मानव रहित लड़ाकू विमानों के लिए कावेरी इंजन का इस्तेमाल
vi) डीआरडीओ द्वारा उत्पादों का स्वदेशीकरण
vii) डीआरडीओ में वैज्ञानिकों की कमी

9. तत्पश्चात, नए डीपीएसयू पर आयुध निदेशालय के प्रतिनिधियों द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी गई। प्रत्येक नए डीपीएसयू जिनके नाम हैं- म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड (एमआईएल), आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (एवीएनएल), एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूईआईएल), ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल), यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल), इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल) और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल) के प्रतिनिधियों द्वारा पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दिया। तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की:-

i) डीपीएसयू की ऑर्डर बुक की स्थिति
ii) डीपीएसयू द्वारा अधिक लाभ अर्जित करने पर जोर
iii) डीपीएसयू में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए नई मशीनों की स्थापना
iv) सभी डीपीएसयू द्वारा की गई आधुनिकीकरण गतिविधियां
v) डीपीएसयू के स्वदेशीकरण कार्यक्रम

10. सभापति ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों को सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर यथाशीघ्र लिखित उत्तर/सूचना प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

इसके बाद साक्षी चले गए।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

11. कार्यवाही की एक शब्दशः प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

<u>रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23)</u>

<u>रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की छठी बैठक का कार्यवाही सारांश</u>

समिति की बैठक शुक्रवार, 24 फरवरी, 2023 को 1100 बजे से 1600 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

ले. जन. (डॉ.) डी. पी. वत्स (सेवानिवृत्त) - कार्यवाहक सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री रतन लाल कटारिया
3. कुंवर दानिश अली
4. श्री एन. रेड्डप्पा
5. श्री बृजेन्द्र सिंह
6. श्री महाबली सिंह

राज्य सभा

7. डॉ. अशोक बाजपेयी
8. श्री प्रेम चंद गुप्ता
9. श्री सुशील कुमार गुप्ता
10. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
11. श्रीमती पी.टी. उषा
12. श्री जी.के.वासन

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. डॉ. संजीव शर्मा - निदेशक
3. श्री राहुल सिंह - उप सचिव

साक्षियों की सूची

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम	पदनाम
खरीद नीति और रक्षा योजना		
1.	श्री गिरिधर अरामाने	रक्षा सचिव
2.	जनरल अनिल चौहान	सीडीएस और सचिव/डीएमए
3.	वाइस एडमिरल एसएन घोरमाडे	वीसीएनएस
4.	एयर मार्शल बी आर कृष्णा	सीआईएससी
5.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
6.	सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा	विशेष सचिव
7.	लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी	एएस/डीएमए
8.	श्री पंकज अग्रवाल	डीजी (एसीक्यू)
9.	सुश्री दीप्ति मोहिल चावला	अपर सचिव/डीओडी
10.	श्री टी नटराजन	अपर सचिव (डीपी)
11.	एयर मार्शल एन तिवारी	डीसीएएस
12.	लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार	डीसीओएएस (स्ट्रैट)
13.	लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली	डीजी एसपी
14.	लेफ्टिनेंट जनरल विनीत गौड़	डीजी सीडी
15.	लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह	डीसीआईडीएस (पीपी और एफडी)
16.	एडीजी राकेश पाल	एडीजी सीजी और एडिशनल चार्ज डीजी आईसीजी
17.	श्री दिनेश कुमार	जेएस और एएम (एमएस)
18.	श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह	जेएस और एएम (वायु)
19.	डॉ. अजय कुमार	जेएस और एएम (एलएस)
20	श्री जयंत कुमार	जेएस (एयरो)

21.	श्री राजेश शर्मा	अतिरिक्त एफए (आरएस) और जेएस
22.	एवीएम राजीव रंजन	एसीआईडीएस (पीपी और एफएस)
23.	मेजर जनरल अशोक सिंह	एडीजी पीएस
24.	एवीएम जी थॉमस	एसीएएस (योजना)
25.	आरएडीएम पी.ए.ए.आर सादिक	एक्वीजिशन टेक (एम एंड एस)
26.	मेजर जनरल अभय दयाल	एडीजी एसीक्यू
27.	एवीएम एम मेहरा	एसीएएस फिन (पी)
28.	मेजर जनरल के नारायणन	जेएस (थल-सेना और टीए)
29.	आरएडीएम सीआर प्रवीण नायर	एसीएनसी
30.	मेजर जनरल अभिनय राय	एडीजी एसपी
31.	मेजर जनरल बिक्रमदीप सिंह	एडीजी एफपी
32.	मेजर जनरल एनकेवी पाटिल	एडीजी प्रोक (बी)
33.	श्री अम्बरीष बर्मन	निदेशक (बजट)
34.	श्री सुभाष कुमार	ओएसडी (बजट)
भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण		
1.	श्री विजय कुमार सिंह	सचिव ईएसडब्ल्यू
2.	सुश्री रसिका चौबे	एफए (डीएस)
3.	लेफ्टिनेंट जनरल पीएस शेखावत	डीजी (डीसी एंड डब्ल्यू)
4.	लेफ्टिनेंट जनरल सी बंसी पोनप्पा	एडजुटेंट जनरल
5.	वीएडीएम सूरज बेरी	नियंत्रक कार्मिक सेवाएँ
6.	एयर मार्शल आरके आनंद	डीजी (प्रशासन)
7.	डॉ. पुडि हरि प्रसाद	संयुक्त सचिव (ईएसडब्ल्यू)
8.	मेजर जनरल शरद कपूर	डीजी (पुनर्वास)
9.	श्री राजेश शर्मा	अपर एफए (आरएस) और जेएस
10.	मेजर जनरल अशोक सिंह	एडीजी पीएस
11.	एवीएम अशोक सैनी	एसीएएस
12.	आरएडीएम मनीष चड्ढा	एसीओपी
13.	कमोडोर एचपी सिंह	सचिव केएसबी
14.	श्री अम्बरीष बर्मन	निदेशक (बजट)
15.	श्री सुभाष कुमार	ओएसडी (बजट)
16.	डॉ. पी. पी. शर्मा	ओएसडी
रक्षा मंत्रालय (पेंशन)		

1.	श्री विजय कुमार सिंह	सचिव ईएसडब्ल्यू
2.	श्री प्रवीण कुमार, आईडीएएस	अपर सीजीडीए
3.	डॉ. पुडि हरि प्रसाद	संयुक्त सचिव (ईएसडब्ल्यू)
4.	श्री राजेश शर्मा	अपर एफए (आरएस) और जेएस
5.	सुश्री सारिका अग्रवाल सिनरेम	आईडीएएस, संयुक्त सीजीडीए
6.	डॉ. जयराज नाइक	आईडीएएस, संयुक्त सीजीडीए
7.	श्री अम्बरीष बर्मन	निदेशक (बजट)
8.	श्री सुभाष कुमार	ओएसडी (बजट)
भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना		
1.	श्री विजय कुमार सिंह	सचिव ईएसडब्ल्यू
2.	डॉ. पुडि हरि प्रसाद	संयुक्त सचिव (ईएसडब्ल्यू)
3.	श्री राजेश शर्मा	अपर एफए (आरएस) और जेएस
4.	मेजर जनरल एन आर इंदुरकर	एमडी ईसीएचएस
5.	कर्नल पीके मिश्रा	निदेशक, ईसीएचएस
6.	श्री अम्बरीष बर्मन	निदेशक (बजट)
7.	श्री सुभाष कुमार	ओएसडी (बजट)

2. चूंकि समिति के सभापति बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते थे, ले.जन. (डॉ.) डी.पी. वत्स (सेवानिवृत्त) को बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा संसदीय समितियों से संबंधित लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम सं. 258(3) के अनुसार बैठक का कार्यवाहक सभापति नियुक्त किया गया।

3. तत्पश्चात् कार्यवाहक सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची से अवगत कराया। तत्पश्चात समिति ने रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। सभापति ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति की बैठक में उनका स्वागत किया और उनसे अनुरोध किया कि वे उस दिन की कार्यसूची में शामिल विभिन्न मुद्दों पर समिति को संक्षिप्त जानकारी दें और उनका ध्यान लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश (1)55की ओर आकर्षित किया।

4. तत्पश्चात्, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने रक्षा खरीद नीति पर पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से संक्षिप्त जानकारी दी। इसके बाद निम्नलिखित बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गई:

i) आत्मनिर्भर भारत पर बल - रक्षा उपकरण के स्वदेशीकरण और रक्षा में आत्मनिर्भरता;
ii) व्यापार करने में आसानी;
iii) घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र और ऑफसेट पर बल;
iv) विदेशी उद्योगों से रक्षा उपकरणों की खरीद में कमी और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना;
v) रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में संशोधन ; और
vi) एकीकृत रक्षा क्षमता योजना और अप्रचलित मदों के प्रबंधन पर बल

5. तदुपरांत, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा तैयार की गई पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी देनी शुरू किया। इसके बाद निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तृत विचारविमर्श किया गया-:

i) भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के लिए बजटीय अनुदान;
ii) अग्निवीर योजना और उसके अंतर्गत अग्नीवीरों के प्लेसमेंट का विवरण;
iii) प्लेसमेंट के अवसर और भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्विनियोजन की प्रक्रिया;
iv) भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित ग्रुप बी और ग्रुप सी अराजपत्रित पदों की रिक्तियों को भरना;
v) देश में शहीदों को दिए जाने वाले अनुग्रह नकदी लाभ/प्रतिपूर्ति के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एकरूपता की कमी; और
vi) केंद्रीय, राज्य और जिला सैनिक बोर्डों की भूमिका और दायित्व.

6. तत्पश्चात्, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा रक्षा मंत्रालयइंट प्वा-पेंशन पर पावर-त चर्चा की गईलिखित मुद्दों पर विस्तृइसके बाद निम्न तीकरण दिया गया।प्रस्तु:

i) रक्षा पेंशन के विभिन्न घटक;
ii) रक्षा पेंशनभोगियों के लिए स्पर्श का कार्यान्वयन;
iii) समान रैंक समान पेंशन से संबंधित मुद्दे (ओआरओपी); और
vi) पेंशन को एकसमान करने के संबंध में विवरण.

7. तदुपरांत, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के (ईसीएचएस) तीकरण दिया गया जिसके पइंट प्रस्तुप्रतिनिधियों द्वारा पावर प्वाश्चात निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हुई:

i) भूतपूर्व अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के अंतर्गत बजटीय अनुदान और निधियों का उपयोग;
ii) पॉलीक्लीनिक में विशेषज्ञों की रिक्तियां;
iii) ईसीएचएस लाभार्थियों को गैर-सरकारी पेनलबद्ध अस्पतालों द्वारा सेवा प्रदान करने से मना करने के संबंध में;
iv) एकीकृत परिसरों का निर्माण; और
v) समाप्त कर दी गयी ईसीएचएस/सुविधाओं और/या चिकित्सकीय रूप से अयोग्य कैडेट।

8. सभापति ने रक्षा सचिव, सामान्य अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को विस्तृत चर्चा के लिए धन्यवाद दिया और रक्षा मंत्रालय और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया कि वे सभी प्रश्नों के लिखित उत्तर शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

कार्यवाही के शब्दश: रिकॉर्ड की एक प्रति रखी गई है।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

****

<u>रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23)</u>

<u>रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश</u>

समिति की बैठक गुरुवार, 16 मार्च, 2023 को 1500 बजे से 1530 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जुएल ओराम - सभापति

<u>सदस्य</u>

लोक सभा

2. श्री नितेश गंगा देब
3. श्री राहुल गांधी
4. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
5. चौधरी महबूब अली कैसर
6. श्री रतन लाल कटारिया
7. डॉ. रामशंकर कठेरिया
8. कुंवर दानिश अली
9. श्री एन. रेड़डप्पा
10. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
11. श्री जुगल किशोर शर्मा
12. श्री प्रताप सिम्हा
13. श्री बृजेन्द्र सिंह

राज्य सभा

14. डॉ. अशोक बाजपेयी
15. श्री सुशील कुमार गुप्ता
16. श्री वेंकटारमन राव मोपीदेवी
17. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
18. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
19. श्रीमती पी.टी. उषा
20. श्री जी.के.वासन
21. ले. जनरल (डॉ.) डी.पी.वत्स (रिटा.)
22. श्री के.सी. वेणुगोपाल

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. डॉ. संजीव शर्मा - निदेशक
3. श्री राहुल सिंह - उप सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची के बारे में सूचित किया। इसके बाद समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों को विचारार्थ लिया:-

(i) **'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) (मांग सं. 20)' के संबंध में वर्ष 2022-23 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों से संबंधित उनतीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन;**

(ii) **'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा संपदा संगठन, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग सं. 19 और 22)' के संबंध में वर्ष 2023-24 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी प्रतिवेदन;**

(iii) **'थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूल (मांग सं. 20 और 21)' के संबंध में वर्ष 2023-24 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी प्रतिवेदन;**

(iv) **'रक्षा सेवाओं संबंधी पूंजीगत परिव्यय, खरीद नीति और रक्षा आयोजना (मांग सं. 21) के संबंध में वर्ष 2023-24 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी प्रतिवेदन; और**

(v) **'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग सं. 20 और 21)' के संबंध में वर्ष 2023-24 हेतु रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी प्रतिवेदन ।**

3. कुछ विचार-विमर्श के उपरांत समिति ने उपर्युक्त प्रतिवेदनों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया।

****** प्रतिवेदन से संबधित नहीं है । *******

4. समिति ने सभापति को उपर्युक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उन्हें सुविधानुसार किसी तिथि को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

इसके बाद, समिति की बैठक स्थगित हुई।

****